न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया।

-------------------------------

CNR No. : UPAU010004012015

उपस्थिति : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code : U.P. 06484

---

राज्य उत्तर प्रदेश। ...अभियोगी

**बनाम**

(1.) कमल सिंह पुत्र गंगादीन उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी बीसलपुर थाना अजीतमल जिला औरैया।

...अभियुक्त

सत्र परीक्षण संख्या : 89/2015 ; मु0 अ0 सं0 : 178/2015

धारा : 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम ; थाना : अजीतमल। ; जिला : औरैया।

-

## निर्णय

सत्र परीक्षण संख्या 89/2015 'राज्य बनाम कमल सिंह', मुकदमा अपराध संख्या 178/2015, अन्तर्गत धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम, थाना अजीतमल जिला औरैया, के अभियोग मे अभियुक्त कमल सिंह का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी-मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह चौकी अटसू थाना अजीतमल जिला औरैया द्वारा थानाध्यक्ष अजीतमल को एक हस्तलिखित तहरीर दिनाँकित 10-03-2015 इस इस आशय की दी गयी कि "...आज दिनाँक 10-03-2015 को मैं सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह मय हमराही C/462 प्रमोद कुमार व C/434 नरेन्द्र सिंह के थाने से वहवाले रपट नम्बर 46 समय 19:50 बजे वगरज कस्बा अटसू से जुआ पुल तक आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व संदिग्ध वाहन व व्यक्तियो की चेकिंग मे मामूर होकर बल्लापुर ग्राम से पहले ब्रह्मदेव थान के पास चेकिंग कर रहे थे कि उसी समय एक JSA विक्रम टैम्पू नम्बर U.P.79 T-1306 आया और टैम्पू वहीं खड़ा करके चालक शौच करने चला गया। उसी समय एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली नीले रंग पावर ट्रैक, जिसमे आलू लधे थे, का चालक ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चला कर अपनी साइड पर खड़े सिपाहियो C/462 प्रमोद कुमार व c/434 नरेन्द्र सिंह को टक्कर मार कर ट्रैक्टर भगाने लगा। मैंने टोर्च की रोशनी डालते हुए देखा तो उक्त ट्रैक्टर को चालक कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल औरैया, चला रहा था जिसे मैं पहले से भलीभांति जानता हूँ। उक्त ट्रैक्टर की टक्कर से दोनो सिपाही गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हे सरकारी अस्पताल अजीमल लेकर आये जिनमे C/434 नरेन्द्र सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तथा C/462 प्रमोद कुमार को गम्भीर हालत होने के कारण सैफई रेफर कर दिया गया। टक्कर लगने से उपरोक्त टैम्पू क्षतिग्रस्त हो गया तथा ट्रैक्टर पर पीछे नम्बर



Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.03.10 16:32:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नही था । यह घटना समय करीब 20:15 बजे की है । रिपोर्ट लिख कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे...।"

वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह की इस हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना अजीतमल जिला औरैया पर दिनाँक 10–03–2015 को समय 22:05 बजे अभियुक्त कमल सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279, 338, 304–A, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम, का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

विवेचना अधिकारी द्वारा इस अभियोग की विवेचना की गयी । दौरान विवेचना वादी–मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गए । घटनास्थल का नक्शा–नजरी बनाया । मृतक C/434 नरेन्द्र सिंह के शव का पंचायतनामा व शव–विच्छेदन/पोस्टमॉर्टम कराया गया । घायल C/462 प्रमोद कुमार का चिकित्सीय इलाज कराया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए विवेचना पूर्ण की गयी । विवेचना पूर्ण के पश्चात अभियुक्त कमल सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम, के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालय औरैया, मे आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनाँक 08–05–2015 को प्रसंज्ञान लिया गया ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालय औरैया द्वारा अभियुक्त कमल सिंह का यह मुकदमा दिनाँक 20–05–2015 को सत्र न्यायालय सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

सत्र न्यायालय मे अभियुक्त कमल सिंह के इस मुकदमे का विचारण आरंभ किया गया ।

अपर सत्र न्यायालय, कक्ष संख्या 2 औरैया द्वारा दिनाँक 11–01–2016 को अभियुक्त कमल सिंह के विरुद्ध धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम, का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त कमल सिंह ने इस आरोप से इनकार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

अभियोजन की ओर से इस मुकदमे मे निम्न साक्षीगण को न्यायालय मे पेश व परीक्षित कराया गया :– (1.) वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह (2.) pw2 कॉन्स्टेबल संजीव कुमार (3.) pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह (4.) pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार (5.) pw5 डॉक्टर अरुण कुमार सिंह (6.) pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद व (7.) pw7 हेड कॉन्स्टेबल मोहम्मद मुस्तकीम ।

अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अभियुक्त कमल सिंह का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ब्यान तत्कालीन न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किया गया जिसमे अभियुक्त द्वारा कथित घटना को झूठी व फर्जी बताया तथा अभियोजन गवाहो द्वारा झूठी व गलत गवाही दिया जाना बताया तथा सफाई–साक्ष्य देना भी कहा ।

अभियुक्त कमल सिंह की तरफ से सफाई–साक्ष्य मे केवल एक निम्न साक्षी को न्यायालय मे पेश व परीक्षित कराया गया :– (1.) dw1 शिवरतन सिंह पुत्र मूलचन्द्र ।

इसके अलावा अभियुक्त कमल सिंह की ओर से सफाई–साक्ष्य मे सूची–दस्तावेज दिनाँकित 05–11–2025 से निम्न कागजात दाखिल किये :–

(1.) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) कक्ष संख्या 7 इटावा द्वारा एम.ए.सी. वाद संख्या 220/2015 'मानती देवी आदि बनाम कमल सिँह आदि', मे पारित निर्णय दिनाँकित 09–12–2017 (लोक

अदालत) की सत्यप्रतिलिपि ।

(2.) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) इटावा मे दायर एम.ए.सी. वाद संख्या 242/2015 'रीना देवी व 3 अन्य बनाम कमल सिँह व 2 अन्य', का एम.ए.सी. वाद अन्तर्गत धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम, की सत्यप्रतिलिपि ।

(3.) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) इटावा मे दायर एम.ए.सी. वाद संख्या 220/2015 'मानती देवी व 3 अन्य बनाम कमल सिँह व 4 अन्य'. का एम.ए.सी. वाद अन्तर्गत धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम, की सत्यप्रतिलिपि ।

**अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...दिनाँक 10–3–2015 को मैं, कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार और कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के साथ आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु ग्राम बल्लापुर से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रूक कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियो की चेकिंग में व्यस्त था, तभी टैम्पो विक्रम जे0 एस 0 ए 0 का चालक टैम्पो को सड़क किनारे खड़ा करके शौच क्रिया के लिए चला गया था । इस दौरान समय करीब 20:15 बजे एक नीले रंग का ट्रैक्टर जिसमे ट्रॉली लगी थी और ट्रॉली में आलू के बोरे लदे थे, को उसका ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने विक्रम जे0 एस 0 ए 0 में टक्कर मार दी तो मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो उसके चालक ने स्पीड बढ़ा कर कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर, जो सड़क के किनारे थे, ऊपर चढ़ा कर टक्कर मारकर भागा । तब मैंने टोर्च की रोशनी डाल कर उक्त ट्रैक्टर पावर ट्रैक कंपनी का जिसका रंग नीला था, के चालक कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल, को टोर्च की रोशनी में पहचाना क्योंकि मैं उसको पहले से जानता –पहचानता था । अपने उच्च अधिकारियो को घटना के संबंध में सूचना दी और घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व नरेन्द्र सिंह को सरकारी अस्पताल अजीतमल ले गये, जहां पर नरेन्द्र सिंह कॉन्स्टेबल को मृत घोषित कर दिया गया और कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार की हालत को गंभीर देखते हुए सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था । इस पर चालक उपरोक्त ने अपने ट्रैक्टर से जे0 एस 0 ए 0 टैम्पो को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के बाद भागने के दौरान जान बूझकर सिपाहियो पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया । यदि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक लेता तो न ही सिपाही घायल होता और न ही एक सिपाही की मृत्यु होती । इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना अजीतमल जिला औरैया पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में लिखायी थी । पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/2 जो तहरीर है को देखकर साक्षी ने कहा कि वही यह तहरीर है जो मैंने दिनांक 10–03–2015 को घटना के संबंध में थाना हाजा पर दी थी । इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया । दौरान–विवेचना विवेचक ने मेरा बयान लिया था ।"

**अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...दिनांक 10–3–2015 को मेरे भाई नरेन्द्र सिंह जनपद औरैया के अजीतमल थाना के अटसू चौकी में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे और दौरान ड्यूटी दिनांक 10–03–2015 को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी । साथी पुलिस वालो द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई थी तो मैं अजीतमल थाने पर आया और थाने से जानकारी प्राप्त होने पर सरकारी अस्पताल अजीतमल जिला औरैया पर पहुंचा था । सरकारी अस्पताल अजीतमल के अन्दर बने चबूतरे पर मेरे मृतक भाई नरेन्द्र का शव रखा था । दिनांक 11–

03–2015 को मेरे भाई मृतक नरेन्द्र सिंह का पंचनामा दरोगा जी द्वारा भरा गया था । दौरान पंचायतनामा प्रक्रिया, मैं मौके पर मौजूद रहा था और मुझे पंचान नियुक्त किया था । मेरे अलावा दर्शन सिंह, अशोक कुमार पुत्र सोने लाल, अशोक कुमार पुत्र श्री शिवनाथ सिंह एवं राम अवतार को भी पंचान नियुक्त किया गया था । ये लोग मेरे साथ नही आये थे । मेरे भाई के सिर, कान, नाक में लगी चोट के कारण खून बह रहा था । चेहरे पर भी सूजन व चोटे थी । भाई के हाथ की कलाई मे भी चोटे थी । भाई अपनी पुलिस पुलिस की वर्दी पहने था । दरोगा जी ने पंचायतनामा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मेरे गवाही के हस्ताक्षर बनवाये थे और लाश को सील सर्वे मुहर करके पोस्टमॉर्टम हेतु इटावा भेज दिया था । पंचायतनामा की प्रक्रिया सुबह लगभग 6:00 बजे शुरू हो गयी थी । पत्रावली में शामिल कागज संख्या 13 क/1 लगायत 13 क/2 जो पंचायतनामा मृतक 434 कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह का है, को देखकर साक्षी ने कहा कि इस पर बने हस्ताक्षर मेरे है जिसकी पहिचान व पुष्टि करता हूँ । इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया । दौरान–विवेचना विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया ।"

**अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...दिनांक 10–3–2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजीतमल औरैया में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था । उसी दिनांक समय 09:02 बजे इ0एम0ओ0 नम्बर 306 पर घायल प्रमोद कुमार पुत्र लल्ला सिंह चौकी अटसू थाना अजीतमल व इ0एम0ओ0 नंबर 307 पर समय 09:30 बजे पर मृतक नरेन्द्र सिंह पुत्र सोनेलाल चौकी अटसू को मेरे पास लाया गया था । मैंने घायल प्रमोद कुमार का प्राथमिक उपचार करते हुए उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज (रिम्स) रेफर कर दिया था तथा नरेन्द्र सिंह का चेकअप किया था, वह मृत पाया गया । मेरे द्वारा हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी घायल व मृतक की इ0एम0ओ0 नंबर 306 व 307 के इमरजेंसी रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 17 क के रूप में मेरे सामने है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया ।"

**अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...दिनांक 10–03–2015 को मैं थाना अजीतमल में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था । उसी दिनांक 10–03–2015 को मैं व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह व सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह के साथ थाने से वहवाले रपट नंबर 46 समय 19:50 बजे कस्बा अटसू से जुआ पुल फफूंद रोड़ पर आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु रवाना होकर बल्लापुर ग्राम से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रुक कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियो की चेकिंग कर रहे थे । उसी समय करीब 08:15 p.m. पर एक जे0एस0ए0 विक्रम टैम्पो नंबर यू0पी0 79 टी0 1306 का चालक लेकर आया और थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा करके शौच के लिए चला गया । तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली समय उपरोक्त 20:15 बजे ट्रॉली में बोर लदे थे, ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0एस0ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये । हम लोगो को होश नही रहा । कुछ समय बाद मुझे होश आया था तो मैं सरकारी अस्पताल अजीतमल में था । अस्पताल अजीतमल में पुनः मैं अचेत हो गया था । अगले दिन मुझे पी0जी0आई0 सैफई

में होश आया । वहां मुझे बताया गया कि ट्रैक्टर चढ़ाने से मेरे साथी आरक्षी नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई है । बाद में ट्रैक्टर नंबर चेसिस बी0 3210556 तथा इंजन नंबर ई0 3233747 थाने के पुलिस द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी तथा चालक ट्रैक्टर का नाम कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल का नाम–पता मुझे थाने से पता चला था । विवेचक महोदय ने घटना के संबंध में मेरा बयान लिया था ।"

**अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरूण कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...मैं दिनांक 11–03–2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरी (टिमरूआ) इटावा में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था । उसी दिनांक को मैंने मृतक कॉन्स्टेबल 434 नरेन्द्र सिंह पुत्र सोनेलाल निवासी समदपुर थाना किशनी जिला मैनपुरी उम्र करीब 29 वर्ष का शव–विच्छेदन समय 12:50 पर शुरू किया था व समय 01:25 p.m. पर समाप्त किया । मृतक को कॉन्स्टेबल 165 कपूर सिंह व कॉन्स्टेबल 336 सुदेश कुमार थाना अजीतमल जिला औरैया लेकर आए थे । मृतक के शरीर पर कुल 14 आइटम थे । मृतक के शरीर पर एक शर्ट खाकी, डोरी सीट के साथ, यू0 पी0 पी0 बिल्ला 2, नेम प्लेट प्लास्टिक एक, पेंट एक खाकी, बेल्ट विद ताज एक, टोपी खाकी विज ताज एक, जैकेट एक, इनर एक, पजामा एक, बनियान एक, मौज दो, अंडरवियर एक, लाल धागा दो, थे । शरीर पर हाथ व पैरो में अकड़न मौजूद थी और शरीर के डिपेंडेन्ट पार्ट में पी0 एम0 स्टेनी मौजूद थी । नाक के ऊपर जमा हुआ ब्लड मौजूद था तथा सीधे कान से खून बह रहा था । ए0 एम0 आई0 1– सिर के दाहिने पेराइऑक्सीपिटल में साइज लगभग 8 X 4 से0 मी0 का फटा घाव अंडरलाइन बोन फ्रैक्चर के साथ मौजूद थी । 2– चिन के ऊपर छिला हुआ घाव साइज लगभग 2X1 से0 मी0 पाए गए । 3– बांयी कलाई के पीछे साइड में 1X1 से0 मी0 का छिला हुआ घाव पाया गया । अंतः परीक्षण– दिमाग की झिल्ली फटी हुई तथा पेल पाये गये तथा ब्रेन पेल पाया गया । दांत 16 X 16 पाये गये । दोनो फेफड़ो में पेल पाये गये । दिल के दोनो चैंबर खाली पाये गये । पेट में लगभग 200 ग्राम पेस्टी फूड पाया गया । लीवर स्प्लीन तथा दोनो किडनी पेल पाये गये । मृत्यु का संभावित समय लगभग 3/4$^{th}$ इमीडिएट व कारण शॉक तथा हेमरेज । मृतक की मृत्यु एन्टीमोर्टम इंजरी के कारण हुई । पोस्टमॉर्टम की मूल प्रति, आठ इन्क्वेस्ट पेपर, डेड बॉडी तथा कपड़े, को सील बंद करने के पश्चात कॉन्स्टेबल 165 कपूर सिंह थाना अजीतमल जिला औरैया को सौंप दिया गया । पोस्टमॉर्टम प्रपत्र मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि व पहचान करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया ।"

**अभियोजन साक्षी pw6 चन्द्रिका प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "...मैं दिनांक 10–03–2015 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था । उसी दिनांक को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 178/2015 की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 30–03–2015 को समाप्त की थी । मैंने अपनी विवेचना CD के पर्चा 1 लगायत CD के पर्चा 7 तक में पूर्ण की थी । विवेचना क्रम में मैंने क्रमशः CD–1 में नकल FIR, तहरीर हिन्दी वादी, नकल रपट कायमी संख्या 55 समय 22.05 बजे दिनांक 10–03–2015 को अंकित किया था । CD–2 में मैंने मृतक कॉन्स्टेबल 434 नरेन्द्र सिंह का CHC अजीतमल पर पहुंच कर पंचायतनामा भरा था । मृतक का पंचायतनामा मैंने दिनांक 11–03–2015 को समय 06:05 a.m. पर भरा था । मैंने पंचायतनामा में संजीव कुमार, दर्शन सिंह, अशोक कुमार पुत्र सोने लाल, अशोक कुमार पुत्र शिवराज सिंह व रामअवतार को पंचान नियुक्त कर उनकी राय–पंचान लेकर अंकित की थी । मेरी व पंचानो की राय से मृतक की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए P.M. कराना

आवश्यक था। सभी ने P.M. कराने की राय दी थी। मैंने मृतक की हुलिया, कपड़े–शव, चोटे–शव, अंकित की थी तथा पंचायतनामा पर पंचानो के हस्ताक्षर कराये थे तथा मौके पर ही मृतक के शव को सील सर्व मोहर कर कॉन्स्टेबल 165 कपूर सिंह व कॉन्स्टेबल 336 सुदीश कुमार को P.M. कराने हेतु सुपुर्द कर दिया था। मृतक नरेन्द्र सिंह का पंचायतनामा व चिट्ठी RI व चिट्ठी CMO, फोटोनाश, चालान नाश, नमूना सील भी मैंने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे। पंचायतनामा पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 13 क/1 लगायत 13 क/2 के रूप में द्वारा वी.सी. आज मेरे सामने है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी में पहचान पुष्टि करता हूँ जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है तथा पंचायतनामा के साथ जो अन्य प्रपत्र जिनमे चिट्ठी RI कागज संख्या–6 क/4, चिट्ठी CMO कागज संख्या 6 क/3, फोटोनाश कागज संख्या–7 क, चालान नाश कागज संख्या–8 क के रूप में द्वारा वी.सी. आज मेरे सामने है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिनकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिन पर क्रमशः चिट्ठी CMO पर **प्रदर्श क–5**, चिट्ठी RI पर **प्रदर्श क–6**, फोटोनाश पर **प्रदर्श क–7** व चालान नाश पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। पंचायतनामा के उपरान्त मैंने इसी पर्चे में बयान–वादी सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह के बयान अंकित किये थे तथा वादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था। नक्शा–नजरी पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 10 क के रूप में द्वारा वी.सी. आज मेरे सामने है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया तथा इसी पर्चे में बयान–समाई साक्षीगण राजेश पुत्र प्रेमनारायण दुबे व रामकिशोर पाल पुत्र हरमुख के बयान अंकित किये थे तथा इसी पर्चे में धारा 304 A, 338 IPC, का लोप किया था तथा 353, 333, 304 IPC की बढ़ोत्तरी की थी। अग्रिम विवेचना धारा 279, 427, 304, 353, 333 IPC व 184 MV ACT में लाने हेतु विवरण अंकित किया था। CD–2A में अभियुक्त कमल सिंह दोहरे को मय घटना से संबन्धित ट्रैक्टर–ट्रॉली के साथ गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर थाना हाजा में दाखिल किया था तथा अभियुक्त कमल सिंह का बयान अंकित किया था तथा अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया था। CD–3 व CD–4 में बयान–गवाह शिवरतन सिंह व बयान–डॉक्टर विक्रमस्वरूप CHC अजीतमल अंकित किये थे। CD–5 में नकल पंचायतनामा मृतक नरेन्द्र सिंह व नकल P.M. रिपोर्ट अंकित की थी। CD–6 में बयान–गवाह पंचायतनामा संजीव कुमार व दर्शन सिंह व अशोक कुमार पुत्र सोनेलाल, अशोक कुमार पुत्र शिवराज सिंह व रामऔतार अंकित किये थे तथा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की निराक्षण रिपोर्ट का अवलोकन तथा घटना में प्रयुक्त पावर ट्रैक की निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन अंकित किया था। CD–7 में बयान–FIR लेखक कॉन्स्टेबल 29 मोहम्मद मुस्तकीम व बयान–गवाह मजरूब कॉन्स्टेबल 462 प्रमोद कुमार व बयान–गवाह P.M. करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का बयान अंकित किया था तथा इसी पर्चे में अभियुक्त कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल जिला औरैया के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 279, 427, 333, 353, 304 IPC 184 MV ACT में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप–पत्र संख्या 100/2015 दिनांक 30–03–2015 को प्रेषित किया था। वह आरोप पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–3 क के रूप में द्वारा वी.सी. आज मेरे सामने है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।"

**अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि** "... मैं दिनांक 10–03–2015 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर थाना कार्यालय में कार्यलेख पर तैनात था।

उसी दिनांक को वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह चौकी अटसू द्वारा एक तहरीर प्रार्थना–पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था । मैंने उसी तहरीर प्रार्थना–पत्र को शब्द ब शब्द अंकित कर चिक एफ0आई0आर0 संख्या 68/15 किता कर मुकदमा अपराध संख्या 178/15 बनाम चालक कमल सिंह', अंतर्गत धारा 279,338,304 ए,427 भारतीय दंड संहिता व 184 एम0वी0 एक्ट0 में कायम किया था व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4/1 के रूप में मेरे सामने है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया । इस प्रकरण का खुलासा जी0डी0 की रपट नंबर 55 समय 22:05 बजे दिनांक 10–03–2015 मूल के साथ कार्बन लगाकर एक ही प्रक्रिया में किया था । मूल कायमी जी0डी0 की कार्बन प्रति पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 9क/1 के रूप में मेरे सामने है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया । विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान लिया था ।"

अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्ष्य से निम्नलिखित प्रपत्र व दस्तावेज साबित किये गये :–

[1.] प्रदर्श क–1 वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह की हस्तलिखित तहरीर ।

[2.] प्रदर्श क–2 मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव का पंचायतनामा ।

[3.] प्रदर्श क–3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह मेरे मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह की मृत घोषित करने व घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार की हालत गम्भीर होने से सम्बन्धित इमरजेंसी रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति ।

[4.] प्रदर्श क–4 मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ।

[5.] प्रदर्श क–5 मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम करने हेतु थाना अजीतमल से प्रेषित चिट्ठी CMO ।

[6.] प्रदर्श क–6 मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव को पोस्टमॉर्टम हेतु ले जाने के लिये थाना अजीतमल से प्रेषित चिट्ठी RI ।

[7.] प्रदर्श क–7 पुलिस फॉर्म नं0 379/फोटोनाश ।

[8.] प्रदर्श क–8 पुलिस प्रपत्र (पुलिस फॉर्म) संख्या 13/चालान–नाश ।

[9.] प्रदर्श क–9 घटनास्थल का नक्शा–नजरी ।

[10.] प्रदर्श क–10 आरोप–पत्र ।

[11.] प्रदर्श क–11 प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) ।

[12.] प्रदर्श क–12 मुकदमा GD कायमी ।

न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य व अन्य प्रपत्रो का गहनता से अध्ययन, अवलोकन व विश्लेषण किया गया ।

इस मुकदमे के न्याय–निर्णयन हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओ (Points of Determination) का निस्तारण किया जाना उचित होगा :–

**[1.] क्या कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नही है ? क्या वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह घटनास्थल पर मौजूद नही था ? थाना पुलिस की थाने से रवानगी की GD दाखिल न करने से क्या यह साबित होता है कि थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर कथित घटना के समय मौजूद नही थी ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस पहला तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद साक्षी नही है । वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नही था क्योंकि इस साक्षी ने पुलिस थाना अजीतमल या अटसू चौकी से निकलने की रवानी GD पेश नही की और इसी तरह पुलिस कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह व प्रमोद कुमार की भी थाना हाजा से संदिग्ध वाहनो व अपराधियों की चेकिंग करने हेतु रवानगी की कोई GD पेश नही की जिससे यही साबित होता है कि ये पुलिसकर्मी थाना हाजा से घटना वाले दिन घटनास्थल की ओर निकले ही नही थे और न ही कथित घटनाक्रम पर पंहुचे । इन पुलिसकर्मियो ने एक मनगढ़न्त कहानी बना कर स्वयं ही अभियुक्त कमल सिंह के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कर लिया ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि यह सही है कि इस मुकदमे की पत्रावली पर उक्त पुलिसकर्मियों की थाना अजीतमल से संदिग्ध वाहन व अपराधियों की चेकिंग हेतु निकलने की रवानगी GD उपलब्ध नही है जो कि विवेचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है जो कि विवेचना की कमी है जिससे अभियोजन कथानक झूठा व संदिग्ध साबित नही होता है परन्तु यह सच है कि वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह व पुलिस कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह व प्रमोद कुमार घटना वाले दिन थाना हाजा से संदिग्ध वाहन व अपराधियों की चेकिंग हेतु निकले थे और उनके द्वारा कुछ जगहो पर कुछ वाहनो की चेकिंग भी की गयी । रुटीन चेकिंग का तस्करा GD मे विस्तारपूर्वक नही किया जाता है । इसी चेकिंग की कार्यवाही के दौरान यह घटना घटी जिसमे ट्रैक्टर चालक अभियुक्त कमल सिंह ने अपने उक्त ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पहले से खड़े हुए JSA टेम्पू मे जोरदार टक्कर मारी और फिर दोनो सिपाहियों को रौंदता हुआ आगे निकल गया जिसमे सिपाही नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी और सिपाही प्रमोद कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया । इन पुलिसकर्मियों का मौके पर होना अभियुक्त कमल सिंह द्वारा भी स्वयं स्वीकार किया गया है जैसा कि अभियुक्त की ओर से साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से जब जिरह की गयी तो कुछ suggestion भी पूछे गये जिनका इस साक्षी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि "...यह कहना गलत है कि मैं व नरेन्द्र सिंह दो लोग जे0 एस 0 ए 0 में बैठकर थाना क्षेत्र में गस्त कर रहे हो और नरेन्द्र सिंह ने चालक को हटाकर स्वयं जे0 एस 0 ए 0 चला रहे हो । यह कहना गलत है कि मृतक नरेन्द्र सिंह किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हो और तेजी से जे0 एस 0 ए 0 चलाकर स्वयं पलट लिया हो जिसमे उनकी मृत्यु हो गयी है और मुझे चोट आयी हो । यह कहना गलत है कि जिस स्थान पर घटना होना बतायी हो वहां पर कोई घटना नही हुई हो । यह कहना गलत है कि जे0 एस 0 ए 0 से ही चोट आयी हो । इसी वजह से जे0 एस 0 ए 0 चालक जे0 एस 0 ए 0 छोड़ कर भाग गया हो ।...यह कहना गलत है कि सहायक उप निरीक्षक साधो सिंह, कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह और मेरी थाने से कोई रवानगी कथिन दिनांक को न हुई हो । यह कहना गलत है कि मैं व नरेन्द्र सिंह थाने से मौज –मस्ती करने के लिए जे0 एस 0 ए 0 से निकले हो और यह घटना हो गयी हो...।" इस तरह से यह साबित होता है कि ये तीनो पुलिसकर्मी कथित घटना के समय

घटनास्थल पर मौजूद थे जिन्होने अभियुक्त कमल सिंह को यह गम्भीर घटना कारित करते हुए अपनी आंखो से देखा । रवानगी GD विवेचक द्वारा पेश न किये जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक पर नही पड़ता है और न ही इससे पूरा का पूरा अभियोजन कथानक झूठा साबित होता है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...दिनांक 10–3–2015 को मैं, कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार और कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के साथ आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु ग्राम बल्लापुर से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रूक कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग में व्यस्त थे, तभी टैम्पो विक्रम जे0 एस 0 ए 0 का चालक टैम्पो को सड़क किनारे खड़ा करके शौच क्रिया के लिए चला गया था । इस दौरान समय करीब 20:15 बजे एक नीले रंग का ट्रैक्टर जिसमे ट्रॉली लगी थी और ट्रॉली में आलू के बोरे लदे थे, को उसका ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने विक्रम जे0 एस 0 ए 0 में टक्कर मार दी तो मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो उसके चालक ने स्पीड बढ़ा कर कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर, जो सड़क के किनारे थे, चढ़ा कर टक्कर मारकर भागा । तब मैंने टोर्च की रोशनी डाल कर उक्त ट्रैक्टर, पावर टैक कंपनी का जिसका रंग नीला था, के चालक कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल को टोर्च की रोशनी में पहचाना क्योंकि मैं उसको पहले से जानता –पहचानता था ।...चालक उपरोक्त ने अपने ट्रैक्टर से जे0 एस 0 ए 0 टैम्पो को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के बाद भागने के दौरान जानबूझकर सिपाहियों पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया । यदि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक लेता तो न ही सिपाही घायल होता और न ही एक सिपाही की मृत्यु होती ।"

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मुझे इस बात की जानकारी नही है कि मेरी रवानगी मूल जी0 डी0 में किसके द्वारा इन्द्राज की गयी थी ।...थाना हाजा अजीतमल जिला औरैया में समय 19:50 बजे मैं चला था । मैं शान्ति व्यवस्था रोकथाम जुर्म–जरायम के लिए चला था । मैं मोटरसाइकिल से थाना से चला था । मैं अपनी हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल से रवाना हुआ था और उक्त दोनो कॉन्स्टेबल एक अलग मोटरसाइकिल से थाना अजीतमल से चले थे ।...मैं दिनांक 10–03–2015 को 20:00 बजे मतलब 08:00 बजे रात घटनास्थल पर पहुंच चुका था ।...मैंने रवानगी के समय से लेकर इस मुकदमे की घटना देखने तक कितने संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चैकिग की, उन वाहनो के नम्बर वाहनो के साथ वाहनो के पंजीकृत स्वामी, वाहनो के चालक व संदिग्ध व्यक्तियो के नाम व पतो की जानकारी मुझे नही है ।...मुझे इस घटना में कोई चोट नही आयी थी, इसलिए मेरी कोई डॉक्टरी नही हुई थी...।"

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह का भाई है, जो थाना अजीतमल से इस घटना की सूचना मिलने पर पहले थाना अजीतमल गया और उसके बाद सरकारी अस्पताल जिला औरैया पंहुचा । स्पष्ट है कि यह साक्षी कथित घटना का चश्मदीद साक्षी नही है ।

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है । इस साक्षी ने

घायल लग रहे सिपाही नरेन्द्र सिंह का चेकअप किया और उसे मृत पाया और उसे मृत घोषित कर दिया तथा घायल सिपाही प्रमोद कुमार का प्राथमिक उपचार किया और उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया । स्पष्ट है यह साक्षी भी कथित घटना का चश्मदीद साक्षी नही है ।

इस कथित घटना का महत्वपूर्ण साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार है । इस साक्षी ने कथित घटना के घटित होने के सम्बन्ध मे अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे यह कहा कि "...दिनांक 10–03–2015 को मैं थाना अजीतमल में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था । उसी दिनांक 10–03–2015 को मैं व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह व सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह के साथ थाने से व हवाले रपट नंबर 46 समय 19:50 बजे कस्बा अटसू से जुआ पुल फफूंद रोड़ पर आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु रवाना होकर बल्लापुर ग्राम से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रुक कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे । उसी समय करीब 08:15 p.m. पर एक जे0 एस0 ए0 विक्रम टैम्पो नंबर यू0 पी0 79 टी0 1306 का चालक लेकर आया और थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा करके शौच के लिए चला गया, तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली समय उपरोक्त 20:15 बजे ट्रॉली में बोर लदे थे, ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0 एस0 ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये । हम लोगो को होश नही रहा । कुछ समय बाद मुझे होश आया था तो मैं सरकारी अस्पताल अजीतमल में था । अस्पताल अजीतमल में पुनः मैं अचेत हो गया था । अगले दिन मुझे पी0 जी0 आई0 सैफई में होश आया । वहां मुझे बताया गया कि ट्रैक्टर चढ़ाने से मेरे साथी आरक्षी नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई है ।..."

इस साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...हम लोग दो बाइक से रवानगी किये थे । एक बाइक सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह की थी । एक बाइक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र की थी । मैं नरेन्द्र के साथ था । हम लोग थाने से रवानगी करके मोटरसाइकिल से फफूंद जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम बल्लापुर से पहले ब्रम्हदेव थान पर जो बाबरपुर की तरफ जाने पर बांये तरफ पड़ता है, रुके । रवानगी की जी0 डी0 पर हम तीनो लोग हस्ताक्षर किये थे या नही, मुझे याद नही है ।...हम लोग ने दो बाइक वालो की चेकिंग की थी । बाइक वालो का चालान नही किया था । थाना अजीतमल से चल कर बाबा ब्रम्हदेव थान के पहले कोई वाहन की चैकिंग नही की । थाना अजीतमल से चलने के बाद हम लोग अटसू नही रुके थे । कोई चेकिंग नही की थी ।...साक्षी ने पत्रावली देखकर कहा कि पत्रावली में हमराहिनो के थाने से रवानगी का जी0 डी0 की नकल नही है ।...यह कहना गलत है कि सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह, कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह और मेरी थाने से कोई रवानगी कथिन दिनांक को न हुई हो ।"

अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरूण कुमार सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है । इस साक्षी ने मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया था ।

अभियोजन साक्षी pw6 चन्द्रिका प्रसाद इस केस के विवेचक रहे है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मैं दिनांक 10–03–2015 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर

उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था । उसी दिनांक को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 178/2015 की विवेचना ग्रहण कर दिनांक 30–03–2015 को समाप्त की थी...।"

इस साक्षी pw6 चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मैंने उपरोक्त केस की विवेचना दिनांक 10–03–2015 को रात्रि के 10:30 बजे शुरु कर दी थी ।...यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह जो चौकी इन्चार्ज अटसू थे, वह भी कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के साथ मौजूद थे...।"

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है जो कि एक औपचारिक पुलिस साक्षी है जिसने अपने बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन की ओर से पेश किये गये उपरोक्त साक्षीगण की गवाही से यह परिलक्षित होता है कि इस केस का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी pw2 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार है जो इस कथित घटना में अभियुक्त कमल सिंह के ट्रैक्टर से टक्कर लगने से मौके पर घायल भी हुआ है । इस साक्षी की गवाही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह साक्षी इस कथित घटना में घायल हुआ है जैसा कि मुख्य विधि व्यवस्थ **गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा परगन सिंह बनाम पंजाब राज्य** 2014 (87) ACC 648 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि चोटहिल साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति को सन्देहास्पद नही कहा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अति महत्वपूर्ण होता है । इसी प्रकार निम्नलिखित अन्य विधि व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा–In the case of **Abdul Sayeed v. State of MP,** 2010 AIR SCW 5701, It has been held by the Apex Court that (B)Penal Code (45 of 1860), S.300 – Evidence Act (1 of 1872), S.3 – Injured witness – Testimony of – Reliability – Presence of injured witness on spot, not doubtful — Graphic description of entire incident given by him – Must be given due weightage – His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses – Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omissions therein. (Para 29). इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में तो निश्चित रूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और जब इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तब भी इस साक्षी ने कथित घटना के संबंध में जो उपरोक्त कथन कहे है उनमें कोई भिन्नता एवं विरोधाभाष नही है । कथित घटना को क्रम से अपने उपरोक्त प्रति–परीक्षा के बयानो में कहा है जिस कारण इस साक्षी की गवाही विश्वसनीय है एवं साक्ष्य मे ग्राह्य भी है ।

इसके अलावा वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह की उपस्थिति भी घटनास्थल पर साबित होती है । इस साक्षी ने इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना अजीतमल पर दर्ज करायी और अभियुक्त को नामजद किया क्योंकि अभियुक्त को यह साक्षी पहले से ही जानता था जो कि पास के ही गांव का रहने वाला है । इस साक्षी ने भी अपनी उपरोक्त मुख्य परीक्षा के बयानो में अभियुक्त कमल सिंह द्वारा कथित घटना कारित करना बताया और जब इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो भी इस साक्षी ने अपने उपरोक्त प्रति–परीक्षा के बयानो में थाना से निकलने और घटनास्थल पर पहुंचने का समय इत्यादि के विषय में घटनाक्रम के अनुसार न्यायालय में गवाही के दौरान बताया ।

जहां तक प्रश्न उपरोक्त पुलिसकर्मियों के थाना हाजा से निकलने की रवानगी की GD पेश न किए जाने का है तो इसे विवेचना अधिकारी की कमी कहा जा सकता है और विवेचना अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रपत्र विवेचना की केस डायरी मे शामिल नही किया जाता अथवा न्यायालय में दाखिल नही किया जाता है तो उस कमी से अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय अथवा निर्बल नही कहा जा सकता है क्योंकि घायल साक्षी मौके पर उपस्थित था और जिसने न्यायालय मे उपस्थित होकर इस बारे मे अपनी गवाही भी दी । मुख्य विधि–व्यवस्था **कर्नाटक राज्य बनाम सुवर्नम्मा एवं अन्य** 2015 (88) ACC 317 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि विवेचक के हिस्से मे रह गयी कमियो के आधार पर अभियोजन पक्ष को अविश्वसनीय अथवा निर्बल नही कहा जा सकता है । इसके अलावा निम्न दो विधि– व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा– In **State of Madhya Pradesh Vs. Maan Singh and others** (2003) 10 SCC 414, the Honorable Supreme Court has held that even if it is accepted that there was deficiencies but can not be a ground to discard the prosecution version, which is authentic, credible and cogent. In **N.C. Muniyappan and others Vs. State of Tamil Nadu** (2010) 3 SCC (criminal) 1402, the Honorable Supreme court has held that the defect in the investigation by itself can not be a ground for acquittal. There is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence.

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित होता है कि कथित घटना के समय वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह और घायल सिपाही साक्षी pw2 कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार मौके पर उपस्थित थे जिनके सामने यह कथित घटना घटी । थाना पुलिस द्वारा उक्त पुलिसकर्मियों की थाने से रवानगी की GD दाखिल न करने से यह साबित नही होता है कि थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर कथित घटना के समय मौजूद नही थी और न ही इस कमी से अभियोजन कथानक को पूरी तरह झूठा माना जा सकता है ।

अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह पहला तर्क स्वीकार नही किया जाता है ।

**[2.] क्या मृतक C/434 नरेन्द्र सिंह व घायल C/462 प्रमोद कुमार को थाना पुलिस की जीप से सरकारी अस्पताल अजीतमल ले जाया गया अथवा एम्बुलेन्स से अस्पताल ले जाया गया ? यदि इन कथनो मे विरोधाभाष है तो क्या अभियोजन कथानक संदिग्ध साबित होता है और मृतक सिपाही की मृत्यु उक्त ट्रेक्टर की टक्कर से होना साबित नही होता है तथा घायल सिपाही को चोटे उक्त ट्रैक्टर की टक्कर से कारित नही होना साबित होता है ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से जो पुलिस साक्षी और चिकित्सक साक्षी पेश किए गए है, उनके बयानो में घोर विरोधाभाष है । पुलिस साक्षी का कहना है कि मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह व घायल सिपाही प्रमोद कुमार को पुलिस की जीप से सरकारी अस्पताल अजीतमल ले जाया गया था जबकि वहीं दूसरी ओर चिकित्सक साक्षी ने कहा है कि मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह व घायल सिपाही प्रमोद कुमार को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल अजीतमल लाए थे । अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्षीगण द्वारा इस संबंध में दी गई अलग–अलग गवाही की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसका विवेचन (discussion) इस निर्णय में आगे किया गया है । उपरोक्त तर्क प्रस्तुत

करते हुए अभियुक्त की ओर से यही कहा गया कि अभियोजन कथानक संदिग्ध है और अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर झूठी गवाही दी गई है ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि यह सही है कि कथित घटना के समय अभियुक्त कमल सिंह द्वारा अपने ट्रैक्टर को बहुत तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जानबूझकर मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह व घायल सिपाही प्रमोद कुमार को टक्कर मार दी जब वे दोनो अपनी ड्यूटी कर रहे थे । दोनो गंभीर रूप से घायल हो गए तब थाना पुलिस अपनी जीप में इन दोनो सिपाहियो को लाद कर जल्द ही अजीतमल सरकारी अस्पताल ले गए जहां पर सिपाही नरेंद्र सिंह को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और घायल सिपाही प्रमोद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई अस्पताल के लिये रेफर कर दिया गया । पुलिस जीप से लहु–लुहान हालत में जब इन दोनो सिपाहियो को अजीतमल सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर द्वारा इनका प्राथमिक उपचार किया गया । डॉक्टर द्वारा अपने बयानो में यह अवश्य कहा है कि इन दोनो सिपाहियो को एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया था क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को एंबुलेंस से ही अस्पताल ले जाया जाता है । इसी अवधारणा को देखते हुए डॉक्टर द्वारा ऐसा बयान दिया गया । वैसे भी इस तथ्य से अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है कि मृतक व घायल सिपाहियो को किस साधन से सरकारी अस्पताल अजीतमल में ले जाया गया था जबकि यह एक स्वीकारात्मक तथ्य है कि इन दोनो सिपाहियों को सरकारी अस्पताल अजीतमल ले जाया गया जहां पर सिपाही नरेंद्र सिंह को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और घायल सिपाही प्रमोद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिये रेफर कर दिया गया । यह विरोधाभाष एक सामान्य प्रकृति का विरोधाभाष माना जा सकता है जिससे अभियोजन कथानक झूठा साबित नही होता है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...अपने उच्च अधिकारियों को घटना के संबंध में सूचना दी और घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद व नरेन्द्र को सरकारी अस्पताल अजीतमल ले गये, जहां पर नरेन्द्र कॉन्स्टेबल को मृत घोषित कर दिया गया और कॉन्स्टेबल प्रमोद की हालत को गंभीर देखते हुए सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था ।"

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...घटना स्थल पर पुलिस की जीप आ गयी थी उस जीप पर लादकर घायलो को अजीतमल सरकारी अस्पताल ले गया था । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि उस सरकारी जीप पुलिस की जो थी, पर कौन–कौन कॉन्स्टेबल घटनास्थल पर आये थे और उन दोनो घायलो को लादकर ले गये थे । कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह को किस डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, उस डॉक्टर के नाम की जानकारी नही है और कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को किस डॉक्टर ने सैफई अस्पताल में रैफर किया था, मुझे उसके नाम की जानकारी नही है ।...यह कहना गलत है कि मेरे सामने घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद व नरेन्द्र को पुलिस जीप में न लादा गया हो इसलिए मैं लादने वाले व्यक्तियो के नाम नही बता पा रहा हूँ

।...यह कहना गलत है कि घायल प्रमोद व नरेन्द्र सिंह को पुलिस जीप थाना अजीतमल जिला औरैया से घटना स्थल से न लाया गया हो, पुलिस की जीप से न लाया गया हो ।"

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह का भाई है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...साथी पुलिस वालो द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई थी तो मैं अजीतमल थाने पर आया और थाने से जानकारी प्राप्त होने पर सरकारी अस्पताल अजीतमल जिला औरैया पर पहुंचा था । सरकारी अस्पताल अजीतमल के अन्दर बने चबूतरे पर मेरे मृतक भाई नरेन्द्र का शव रखा था ।"

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है । इस साक्षी ने घायल लग रहे सिपाही नरेन्द्र सिंह का चेकअप किया और उसे मृत पाया और उसे मृत घोषित कर दिया तथा घायल सिपाही प्रमोद कुमार का प्राथमिक उपचार किया और उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया । इस साक्षी ने इस तर्क के विषय मे अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...घायल प्रमोद कुमार व मृतक नरेन्द्र को मेरे सामने अस्पताल लाया गया । मैं पहले से अस्पताल में मौजूद था ।...मृतक व घायल एंबुलेंस से अस्पताल लाये गए थे । मृतक व घायल को लेकर एंबुलेंस के कर्मचारी लाये । पुलिस कर्मचारी नही लाये । यदि कोई सिपाही, दरोगा या अधिकारी लाया होता तो उसका नाम लाने वाले रजिस्टर में दर्ज होता । थाने की मजरूबी चिट्ठी साथ में नही लाये न थाने का सिपाही साथ आया था । जो एंबुलेंस के कर्मचारी लाये थे, उन्होंने बताया कि ये लोग दुर्घटना में एक मरा व एक घायल हुआ । यही बात रजिस्टर में अंकित किया ।...घायल व्यक्ति की एक्सीडेंटल रजिस्टर में एंट्री की गई है । इमरजेंसी रजिस्टर एक ही होता है । उसी में इमरजेंसी को लाने वाले व्यक्ति की एंट्री की जाती है ।...प्रमोद कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया था ।"

इस कथित घटना का महत्वपूर्ण साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार है । इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कहा कि "...ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये । हम लोगो को होश नही रहा । कुछ समय बाद मुझे होश आया था तो मैं सरकारी अस्पताल अजीतमल में था । अस्पताल अजीतमल में पुनः मैं अचेत हो गया था । अगले दिन मुझे पी0 जी0 आई 0 सैफई में होश आया ।"

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...जिस वाहन ने मुझे टक्कर मारी थी, वह रौंदता हुआ निकल गया था । टक्कर लगते ही मैं बेहोश हो गया था । नरेन्द्र सिंह को पहले टक्कर लगी थी । मैं उस समय नही देख पाया था कि वाहन कौन चला रहा था ?...मौके से अचेतावस्था में मुझे सरकारी अस्पताल अजीतमल फिर सरकारी अस्पताल सैफई कौन–कैसे लेकर गया, बाद में मुझे पता चला कि मुझे एम्बुलेन्स से

लेकर गया था ।...सैफई अस्पताल मे मैं तीन दिन रूका था । विवेचक महोदय दूसरे दिन सैफई अस्पताल आये थे और मेरे बयान लिए थे ।"

अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरूण कुमार सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है । इस साक्षी ने मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया था । इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे तथा अपनी प्रति–परीक्षा के बयानो मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद इस केस के विवेचक रहे है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में तथा प्रति–परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है जो कि एक औपचारिक पुलिस साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे व प्रति–परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के उपरोक्त बयानो का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया । साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी प्रति–परीक्षा के बयानो में यह कहा है कि घटनास्थल पर पुलिस की जीप आ गई थी और उस जीप पर लादकर घायलो को अजीतमल सरकारी अस्पताल ले जाया गया था जहां पर डॉक्टर ने कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया था और कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को सैफई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था । साक्षी pw2 संजीव कुमार, मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह का भाई है । इस साक्षी ने अपने मृतक भाई सिपाही नरेंद्र सिंह का शव सरकारी अस्पताल अजीतमल में रखा हुआ देखा जिससे यह बात साबित होती है कि नरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी और जिसका शव अजीतमल सरकारी अस्पताल में रखा गया था अर्थात् डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था । साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह ने भी इस तथ्य को अपनी गवाही से साबित किया है और यह बताया है कि इस साक्षी द्वारा सिपाही जब सिपाही नरेंद्र सिंह का चेकअप किया गया तो उसे मृत पाया और दूसरे घायल सिपाही का प्राथमिक उपचार करते हुए जब उसकी गंभीर हालत देखी तो उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया । इस साक्षी ने यह अवश्य कहा कि मृतक व घायल सिपाहियो को एंबुलेंस से अस्पताल लाया गया था और एंबुलेंस के कर्मचारी लाए थे, पुलिस कर्मचारी नही लाए थे, न ही कोई थाने की मजरूबी चिट्ठी को थाने का सिपाही लाया था । यह सही है कि पुलिस साक्षी ने इन दोनो सिपाहियो को पुलिस की जीप से अस्पताल ले जाना बताया तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर द्वारा एंबुलेंस से अस्पताल में दाखिल करना बताया परंतु यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि यह एक स्वीकारात्मक तथ्य (Admitted Fact) है कि मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह और घायल सिपाही प्रमोद कुमार को अजीतमल सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा सिपाही नरेंद्र सिंह को मृत घोषित किया गया और घायल सिपाही प्रमोद कुमार को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया । अब ऐसी दशा में इस तथ्य से कोई विशेष प्रभाव नही पड़ता है कि इन दोनो सिपाहियों को किस माध्यम से किस व्यक्ति द्वारा अजीतमल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था । यदि डॉक्टर के बयान को तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय माना जाए तब भी यह तथ्य तो साबित है कि ये दोनो सिपाही गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल अजीतमल लाये गये थे जिस कारण अब केवल यह प्रश्न रह जाता है कि इन दोनो घायल सिपाहियो को ये गंभीर चोटे कैसे कारित हुई जिसकी वजह से सिपाही नरेन्द्र की मृत्यु हो गयी और दूसरा सिपाही प्रमोद कुमार गम्भीर

रूप से घायल हो गया अर्थात् क्या अभियुक्त कमल सिंह द्वारा अपने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए इन दोनो सिपाहियो को टक्कर मारी गई अथवा ये दोनो सिपाही अन्य किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए ?, यह एक अलग विषय है जिसका विचारण इसी निर्णय में आगे किया गया है ।

इस केस का महत्वपूर्ण साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार है जो इस घटना मे घायल हुआ है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कहा है कि इस दुर्घटना में वह घायल हो गया था और जब उसे होश आया तो वह सरकारी अस्पताल अजीतमल में था और उसके बाद अगले दिन उसे सैफई अस्पताल इटावा में होश आया था । इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जब प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि इस साक्षी को अचेत अवस्था में सरकारी अस्पताल अजीतमल में दाखिल किया गया और उसके बाद सरकारी अस्पताल सैफई में भी ले जाया गया परंतु कौन लेकर गया था, यह नही पता क्योंकि वह अचेत अवस्था में था और अजीतमल सरकारी अस्पताल से सैफई अस्पताल इटावा एंबुलेंस से ले गए थे ।

इस तरह से यह साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार जो इस कथित घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, ने कथित घटना में घायल होने से स्वयं को अचेत अवस्था में बताया और जिस कारण इस अचेत अवस्था के कारण यह साक्षी यह बताने में सक्षम नही रहा कि घटना स्थल से अजीतमल सरकारी अस्पताल इस साक्षी को कौन लेकर गया था तथा कैसे लेकर गया था ? यद्यपि इस साक्षी ने यह अवश्य बताया कि अजीतमल सरकारी अस्पताल से इस साक्षी को एंबुलेंस के जरिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया था ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से इस न्यायालय का यह अभिमत है कि इस तथ्य से अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है कि मृतक कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह व घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को थाना पुलिस की जीप से सरकारी अस्पताल अजीतमल में ले जाया गया अथवा एंबुलेंस से ले जाया गया जबकि यह तथ्य स्वीकार्य है एवं साबित भी है कि इन दोनो सिपाहियो को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल अजीतमल में दाखिल किया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा सिपाही नरेंद्र सिंह को मृत घोषित किया गया और घायल प्रमोद कुमार को सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा के लिए रेफर किया गया । यह बात भी सही है कि उपरोक्त पुलिस साक्षी और चिकित्सक साक्षी के इस संबंध में अलग–अलग कथन है कि इन दोनो सिपाहियों को पुलिस जीप से अथवा एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल अजीतमल में ले जाया गया परंतु यह विरोधाभाष एक सामान्य प्रकृति का विरोधाभाष है जिससे अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है जैसा कि निम्न विधि व्यवस्थाओ में उल्लिखित किया गया है– **विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य** [2015 (88) ACC 604] मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि "छोटी–छोटी कमियो को जो कि मामले की मौलिकता को स्पर्श नही करते और न मामले की जड़ तक जाते है, के आधार पर समस्त साक्ष्य निरस्त नही किया जाना चाहिये । न्यायालयो को अभियोजन के मूलभूत अभिकथन की ऐसी छोटी–मोटी कमियो को नजर अंदाज करना चाहिये ।" **योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य** [AIR 2016 SC 5160] मे माननीय उच्चतम

न्यायालय ने अवधारित किया कि साक्ष्य मे आये मामूली विरोधाभाष व अपूर्णता अभियोजन के आधार को प्रभावित नही करती और न ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को निरस्त करने का आधार बनती है ।"

इस तरह से प्रस्तुत केस मे आये इस सामान्य विरोधाभाष से अभियोजन कथानक संदिग्ध साबित नही होता है और न ही अभियोजन कथानक बनावटी व झूठा साबित होता है ।

अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह दूसरा तर्क स्वीकार नही किया जाता है ।

**[3.] चिकित्सक साक्षी के बयानो मे मृतक व घायल सिपाही को वाहन के एक्सीडेंट से चोटे कारित होने के कथन से क्या यह साबित होता है कि उक्त दोनो सिपाही स्वयं उक्त वाहन चलाते हुए दुर्घटना के शिकार हो गये जिसमे एक सिपाही की मृत्यु हो गयी और दूसरा सिपाही घायल हो गया ? तथा ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चलाते हुए पहले खड़े हुए JSA टैम्पू में टक्कर मारी फिर दोनो सिपाहियो के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, इस तरह से टक्कर मारने से क्या दोनो सिपाहियो को ऐसी चोटे कारित होना सम्भव नही है जैसा कि इस घटना मे कारित हुई और उन दोनो सिपाहियो के शरीर पर पायी गयी ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तीसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से जो पुलिस साक्षीगण और चिकित्सक साक्षीगण पेश किए गए है, उनके बयानो से यह साबित होता है कि मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह और घायल सिपाही प्रमोद कुमार को ट्रैक्टर के टक्कर लगने से उक्त चोटे कारित नही हुई है बल्कि किसी अन्य सड़क दुर्घटना में उन्हे ये चोटे कारित हुई है । साक्षी सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह और डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह तथा कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार एवं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के बयानो से उक्त तथ्य साबित होते है कि जिस तरह की चोटे इन दोनो सिपाहियों के शरीर पर पायी गई है वे चोटे सामने से ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाने से कारित नही हो सकती है बल्कि किसी सड़क दुर्घटना में कारित हो सकती है जिससे यही साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह द्वारा कथित रूप से तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए इन दोनो सिपाहियो को टक्कर नही मारी गई ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खंडन करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त कमल सिंह द्वारा ही अपना ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह और घायल सिपाही प्रमोद कुमार को सामने से जोरदार टक्कर मारी जिससे वे नीचे गिर गए और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन दोनो सिपाहियो के शरीर पर सिर से लेकर पैर तक अलग–अलग हिस्सो पर काफी ज्यादा चोटे कारित हुई और खून भी निकला जिससे सिपाही नरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और सिपाही प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया । जहां तक प्रश्न चिकित्सक साक्षीगण के बयानो का है तो उक्त बयान उन चिकित्सकगण के मात्र चिकित्सीय अभिमत/मेडिकल ओपिनियन है, कोई ठोस साक्ष्य नही है क्योंकि ये साक्षीगण औपचारिक साक्षीगण है, तथ्य के साक्षीगण नही है अर्थात् इन चिकित्सक साक्षीगण ने कथित घटना को कारित होते हुए अपनी आंखो से नही देखा बल्कि मेडिकल परीक्षण करते समय और पोस्टमॉर्टम करते समय उक्त कारित चोटो को देखा और इसके बारे में केवल अपना चिकित्सीय अभिमत व्यक्त किया है । ऐसा अभिमत कोई ठोस साक्ष्य नही होता है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...इस दौरान समय करीब 20:15 बजे एक नीले रंग का ट्रैक्टर जिसमे ट्रॉली लगी थी और ट्रॉली में आलू के बोरे लदे थे, को उसका ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने विक्रम जे0 एस0

ए0 में टक्कर मार दी तो मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो उसके चालक ने स्पीड बढ़ा कर कॉन्स्टेबल प्रदीप व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर जो सड़क के किनारे थे, के ऊपर चढ़ा कर टक्कर मारकर भागा ।...चालक उपरोक्त ने अपने ट्रैक्टर से जे0 एस0 ए0 टैम्पो को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के बाद भागने के दौरान जानबूझकर सिपाहियों पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया । यदि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को रोक लेता तो न ही सिपाही घायल होता और न ही एक सिपाही की मृत्यु होती ।"

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह का भाई है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मेरे भाई के सिर, कान, नाक में लगी चोट के कारण खून बह रहा था । चेहरे पर भी सूजन व चोटे थी । भाई के हाथ की कलाई मे भी चोटे थी ।"

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...हम पंच लोगो की राय से राय–पंचान लिखी गयी थी जिसे पढ़ कर हम लोगो ने हस्ताक्षर किये थे, जिसमे लिखा है कि '...हम पंचो की राय में नरेन्द्र सिंह की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आयी चोटो के कारण हुई है । फिर मृत्यु का वही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमॉर्टम करा लिया जाये ।..."

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...दिनांक 10–03–2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अजीतमल औरैया में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था ।...मैंने घायल प्रमोद कुमार का प्राथमिक उपचार करते हुए उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज (रिम्स) रेफर कर दिया था तथा नरेन्द्र कुमार का चेकअप किया था, वह मृत पाया गया ।"

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...प्रमोद कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया था ।...मृतक का पंचनामा मैंने तैयार नही किया । मृतक का पंचनामा कब से लेकर कब तक भरा गया, मुझे इसकी जानकारी नही है ।"

इस कथित घटना का महत्वपूर्ण साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार है । इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कहा कि "...उसी समय करीब 08:15 p.m. एक जे0 एस0 ए0 विक्रम टैम्पो नंबर यू0 पी0 79 टी0 1306 का चालक लेकर आया और थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा करके शौच के लिए चला गया तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली समय उपरोक्त 20:15 बजे ट्रॉली में बोरे लदे थे, का ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0 एस0 ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये । हम लोगो को होश नही रहा । कुछ समय बाद मुझे होश आया था तो मैं सरकारी अस्पताल अजीतमल में था । अस्पताल अजीतमल में पुनः मैं अचेत हो गया था ।

अगले दिन मुझे पी0 जी0 आई 0 सैफई में होश आया, वहां मुझे बताया गया कि ट्रैक्टर चढ़ाने से मेरे साथी आरक्षी नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई है ।"

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मेरे मुताबिक ट्रैक्टर ने पहले जे0 एस 0 ए 0 में टक्कर मारी थी । ड्राइवर की तरफ से टक्कर मारी थी । जे0 एस 0 ए 0 वहीं पलट गया था ।...जिस वाहन ने मुझे टक्कर मारी थी, वह रौंदता हुआ निकल गया था । टक्कर लगते ही मैं बेहोश हो गया था । नरेन्द्र सिंह को पहले टक्कर लगी थी । मैं उस समय नही देख पाया था कि वाहन कौन चला रहा था ? ...जिस वाहन ने मुझे टक्कर मारी वह नही रुका था, भाग गया था ।"

अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरूण कुमार सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है । इस साक्षी ने मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के शव का पोस्टमॉर्टम किया था । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...नाक के ऊपर जमा हुआ ब्लड मौजूद था तथा सीधे कान से खून बह रहा था । ए 0 एम 0 आई 0 1–सिर के दाहिने पेराऑक्सीपिटल में साइज लगभग 8X4 से0 मी0 का फटा घाव अंडर–लाइन बोन फ्रैक्चर के साथ मौजूद थी । 2– चिन के ऊपर छिला हुआ घाव साइज लगभग 2X1 से0 मी0 पाए गए । 3– बांयी कलाई के पीछे साइड में 1X1 से0 मी0 का छिला हुआ घाव पाया गया । अन्तः परीक्षण– दिमाग की झिल्ली फटी हुई तथा पेल पाये गये तथा ब्रेन पेल पाया गया । दांत 16X16 पाये गये । दोनो फेफड़ो में पेल पाये गये । दिल के दोनो चैंबर खाली पाये गये । पेट में लगभग 200 ग्राम पेस्टी फूड पाया गया । लीवर, स्प्लीन तथा दोनो किडनी पेल पाये गये । मृत्यु का संभावित समय लगभग 3/4th इमीडिएट कारण शॉक तथा हेमरेज । मृतक की मृत्यु एन्टीमोर्टम इंजरी के कारण हुई ।"

अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति –परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मृतक के यह चोट सिर में टक्कर लगने से आ सकती है । टक्कर हल्की लगने से भी आ सकती है । जोर से लगने से भी आ सकती है । यदि कोई टैक्टर या ट्रक से किसी व्यक्ति को सामने से टक्कर मारेगा तो उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर चोटे आने की संभावना है और उसका शरीर क्रश भी हो सकता है परन्तु वर्तमान जो मैने पी0 एम 0 किया है, उसके पूरे शरीर पर न तो चोटे है और न ही उसका शरीर क्रश हुआ है । मृतक के एन्टीमोर्टम रिपोर्ट में दर्ज चोट संख्या 02 व 03 साधारण प्रकृति की है । यदि कोई व्यक्ति टैम्पो चला रहा है, और टैम्पो पलटा ले और वह सिर के बल गिर जाये तो एन्टीमोर्टम चोट नंम्बर 01 आना संभव है । इसी तरह चोट नंबर 02 व 03 आ सकती है ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद इस केस के विवेचक रहे है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में तथा प्रति–परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है जो कि एक औपचारिक पुलिस साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे व प्रति–परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन की ओर से पेश किए गए उपरोक्त साक्षीगण के बयानो के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यही अभिमत है कि जिस प्रकृति की चोटे मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह और घायल सिपाही प्रमोद

कुमार के शरीर पर पायी गई वे चोटे सड़क दुर्घटना में किसी भारी व बड़े वाहन से टक्कर लगने से आना संभव है। प्रस्तुत केस में भी एक तरह की वाहन दुर्घटना ही है जिसे अभियुक्त कमल सिंह द्वारा जानबूझकर कारित किया जाना बताया गया है और जिसमे अभियुक्त कमल सिंह द्वारा तेजी व लापरवाही से अपना ट्रैक्टर चलाते हुए सिपाही नरेंद्र सिंह और प्रमोद कुमार को जोरदार टक्कर मारना और उन्हे रौंदते हुए मौके से भाग जाना बताया गया है। वादी–मुकदमा साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपने उपरोक्त ब्यानो मे इस सम्बन्ध मे यह कहा कि आलू से भरी ट्रॉली लगा ट्रेक्टर का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने विक्रम जे0 एस0ए0 में टक्कर मार दी तो इस साक्षी के साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो उसके चालक ने स्पीड बढ़ाकर कॉन्स्टेबल प्रदीप व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर जो सड़क के किनारे थे, के ऊपर चढ़ा कर टक्कर मारकर भागा। इसी तरह साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने यह कहा कि एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली जिसकी ट्रॉली में बोरे लदे थे, के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क के किनारे खड़े जे0 एस0ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी और जब इस साक्षी ने और दूसरे सिपाही नरेन्द्र सिंह ने इस ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा इस साक्षी व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे यह साक्षी व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये। इस साक्षी ने दौरान प्रति–परीक्षा यह भी कहा कि ट्रैक्टर ने पहले जे0 एस0ए0 में टक्कर मारी थी। ड्राइवर की तरफ से टक्कर मारी थी। जे0 एस0 ए0 वहीं पलट गया था। जिस वाहन ने इस साक्षी को टक्कर मारी थी, वह रौंदता हुआ निकल गया था। इस तरह से यह साबित है कि उक्त ट्रैक्टर ने पहले खड़े हुए जेएसए टैंपो में टक्कर मारी और उसके बाद दोनो सिपाहियों को और रौंदते हुए मौके से भाग गया। चूंकि टक्कर इतनी जोरदार बतायी गयी तब ऐसी प्रकृति की चोटे कारित होना संभव है जो इन दोनो सिपाहियों के शरीर पर पायी गई। खड़े हुए JSA टैंपो में टक्कर मारने का मतलब यह कतई नही है कि ऐसी टक्कर मारकर ट्रैक्टर रुक गया हो और वहीं खड़ा हो गया जैसा कि उपरोक्त दोनो साक्षीगण के बयानो मे यह आया है कि उसके बाद ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज चलाते हुए दोनो सिपाहियो के ऊपर चढ़ा दिया और रौंदता हुए वहां से निकल गया, जिससे भी यही स्पष्ट होता है कि उक्त भारी वाहन ट्रैक्टर से ऐसी चोटे कारित होना सम्भव है।

मृतक नरेंद्र सिंह के शव के पंचायतनामा की आख्या में निम्न प्रकार की चोटे उसके शरीर पर कारित होना दर्शाया गया है– मृतक के सिर मे पीछे दाहिनी तरफ गहरा घाव खूनालूद। दाहिने कान व नाक से खून बह रहा है। दोनो आंखो व चेहरे पर सूजन है। दाहिनी भौंह के ऊपर चोट खूनालूद। बांयी हाथ की कलाई मे चोट खुरशर व खूनालूद।

मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा उसके बाहरी शरीर पर और आंतरिक परीक्षण करने पर गम्भीर चोटे कारित होना पायी गयी जिसका स्पष्ट व विस्तृत उल्लेख उक्त चिकित्सक साक्षी pw5 डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने अपने उपरोक्त ब्यानो मे किया है जिसे दोहराये जाने की आवश्यकता नही है। जहाँ तक चिकित्सक प्रश्न इस साक्षी के इस बयान का है कि सामने की टक्कर मे शरीर क्रश हो सकत है तो यह मात्र एक चिकित्सीय अभिमत (Medical Opinion) है कोई ठोस साक्ष्य (Conclusive Evidence) नही है।

इस न्यायालय के अभिमत में मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह और घायल सिपाही प्रमोद कुमार के शरीर पर

जिस प्रकृति की अनेक चोटे कारित हुई है वे चोटे किसी भारी वाहन की टक्कर लगने में कारित होना संभव है । जहां तक प्रश्न चिकित्सक साक्षी के चिकित्सीय अभिमत/मेडिकल ओपिनियन का है तो वह कथन मात्र एक अभिमत है, कोई ठोस प्रमाण नही है जैसा कि निम्न विधि व्यवस्थाओ मे माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित भी किया गया है– In **Vishnu Versus State** (2006) 1 SCC 283: AIR 2006 SC 508, it has been held by the Hon'ble Supreme Court that expert medical evidence is not binding as against the ocular evidence. This is because the medical officer is not a witness of fact and evidence given by him is really of an advisory character and not binding on the witness of fact.

**सुल्तान सिंह बनाम हरियाणा राज्य** 2015 (88) ACC 655 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि चिकित्सक तथ्य का साक्षी नही है । उसका अभिमत मरीज की स्वास्थ्यगत परिस्थितियों पर अपनी विशेषज्ञता के आधार पर महत्वपूर्ण है ।

अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह तीसरा तर्क भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया जाता है ।

[4.] **क्या कथित घटना का जनता का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नही है और कथित घटना के सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी होने के कारण इन साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय नही है और साक्ष्य मे ग्राह्य नही है ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस चौथा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना का जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नही है और सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी है जिस कारण अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नही है और साक्ष्य में ग्राह्य नही है । कथित घटना स्थल ग्राम बल्लापुर से करीब 200 मीटर दूरी पर होना, घटनास्थल के नक्शा–नजरी में दर्शाया गया है जहां पर पास में ही ब्रह्मदेव थान की जगह व पूरब तरफ खेत प्रमोद दर्शाया गया है । घटना रात 8:15 बजे की बतायी गई है जो कि चलती सड़क है जिस पर आने–जाने वाले वाहन चालक व राहगीर भी उपस्थित रहते है परंतु अभियोजन की ओर से कथित घटना के समय का जनता का कोई भी साक्षी न तो बनाया गया है और न ही न्यायालय में पेश किया गया है । सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी है जिस कारण ऐसा साक्ष्य विश्वसनीय नही है और साक्ष्य में ग्राह्य नही है ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खंडन करते हुए कहा गया कि यह सही है कि इस कथित घटना का जनता का कोई भी स्वतंत्रत साक्षी नही है और सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी है जिसका कारण यह है कि कोई भी आसपास के गांव का व्यक्ति भलाई–बुराई के कारण ऐसे मुकदमे में गवाह नही चाहता है । वैसे भी इस केस में ग्राम बल्लापुर घटनास्थल से 200 मीटर दूर स्थित है जो कि काफी दूरी होती है । यदि कोई व्यक्ति घटनास्थल से 200 मीटर रहता है तो वह इतनी दूरी से घटना नही देख सकता है । वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह व pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार मौके पर उपस्थित थे जिसमे हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार तो इस घटना में घायल भी हुआ है । यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक केस में जनता का कोई न कोई स्वतंत्र साक्षी होना ही चाहिये । ऐसा कोई भी साक्षी जो किसी घटना में घायल हुआ हो एक महत्वपूर्ण साक्षी होता है चाहे वह पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो । ऐसे साक्षी की गवाही विश्वसनीय होती है और साक्ष्य में ग्राह्य भी होती है । प्रस्तुत केस में अभियोजन की ओर से दो

चश्मदीद साक्षीगण को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया है जो कि पर्याप्त है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कोई कथन नही किया । अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह का भाई है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...दिनांक 10–03–2015 को मेरे भाई नरेन्द्र सिंह जनपद औरैया के अजीतमल थाना के अटसू चौकी में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे और दौरान ड्यूटी दिनांक 10–03–2015 को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मारकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी थी । ...दिनांक 11–03–2015 को मेरे भाई मृतक नरेन्द्र सिंह का पंचनामा दरोगा जी द्वारा भरा गया था । दौरान पंचायतनामा प्रक्रिया मैं मौके पर मौजूद रहा था और मुझे पंचान नियुक्त किया था...।" इस तरह से यह साक्षी मृतक नरेन्द्र सिंह के शव के पंचायतनामा का गवाह है, कथित घटना का एक स्वतन्त्र साक्षी नही है इसी कारण इस साक्षी pw2 संजीव कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर विक्रम स्वरूप सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है जो कि कथित घटना का चश्मदीद स्वतन्त्र साक्षी नही है ।

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार इस घटना का चश्मदीद साक्षी है जो स्वयं पुलिसकर्मी है और कथित घटना मे घायल भी हुआ है । इस साक्षी ने कथित घटना के विषय मे अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यानो मे विस्तार से बताया है ।

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...यह घटना साधो सिंह ने देखी होगी कि पहले ट्रैक्टर ने जे0एस0ए0 में टक्कर मारी थी । सहायक उपनिरीक्षिक साधो सिंह ने भी ट्रैक्टर को पहले जे0एस0ए0 में टक्कर मारते हुए देखा है ।...सहायक उप निरीक्षक साधो सिंह साइड से खड़े थे ।...जिस वाहन ने मुझे टक्कर मारी थी, वह रौंदता हुआ निकल गया था । टक्कर लगते ही मैं बेहोश हो गया था । नरेन्द्र सिंह को पहले टक्कर लगी थी । मैं उस समय नही देख पाया था कि वाहन कौन चला रहा था ?...ब्रह्मदेव स्थान से लगभग दो सौ मीटर दूरी पर दुकाने है ।"

अभियोजन साक्षी pw5 डॉक्टर अरूण कुमार सिंह एक औपचारिक चिकित्सक साक्षी है जो कि तथ्य का चश्मदीद साक्षी नही है ।

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद इस केस के विवेचक रहे है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...वादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था ।...इसी पर्चे में बयान–समाई साक्षीगण राजेश पुत्र प्रेमनारायण दुबे व रामकिशोर पाल पुत्र हरमुख के बयान अंकित किये थे...CD–3 व CD–4 में बयान गवाह शिवरतन सिंह व बयान डॉक्टर विक्रमस्वरूप

CHC अजीतमल अंकित किया थे ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...वादी ने अपने मुकदमे यह नही बताया था कि घटना के समय कोई जनता के लोग मौजूद हो और जिन्होंने घटना को नही बताया हो । JSA चालक का नाम शिवरतन सिंह पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम बेरी कपरिया थाना अजीतमल जिला औरैया है । यह कहना गलत है कि JSA चालक शिवरतन सिंह पुत्र मूलचन्द्र का जो बयान मैंने लिया वो अपने लिखा हो और उसने कोई बयान न दिया हो । शिवरतन के बयान में घटना के होने के बाद मौके पर पंहुचना दर्शाया है । यह सही है कि शिवरतन के अलावा कोई जनता के गवाह से इस घटना के सम्बन्ध कोई पूछताछ नही की । जहां का दुर्घटना स्थल दिखाया गया वहां पर मकान बने हुए थे । उन मकान मालिको से मैंने घटना के सम्बन्ध मे कोई पूछताछ नही की । यह कहना गलत है कि मैंने पड़ोसी मकान–मालिको से इसलिए पूछताछ न की हो क्योंकि वह झूठी घटना का समर्थन न कर रहे हो ।"

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है जो कि एक औपचारिक पुलिस साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...इस तहरीर में कोई भी जनता का गवाह नही दर्शाया गया है ।"

पत्रावली पर प्रदर्श क–9 कथित घटनास्थल का नक्शा–नजरी है जिसमे चिन्ह A से उस स्थान को दर्शाया गया है जहां पर ट्रैक्टर चालक द्वारा खड़े हुए JSA टेंपो नंबर U.P. 79 T 1306 में टक्कर मार दी और चिन्ह B से वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह खड़ा हुआ था और चिन्ह C से उस स्थान को दर्शाया गया है जहां पर कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार खड़ा हुआ था तथा तीर के निशान से उस स्थान को दर्शाया गया है जहां पर ट्रैक्टर चालक ने इन दोनो सिपाहियों को जानबूझकर टक्कर मारते हुए भाग जाना बताया है तथा चिन्ह D से वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह खड़ा था जिसने टोर्च की रोशनी में ट्रैक्टर चालक को पहचाना । घटनास्थल एक सड़क मार्ग है जिसके पूरब में खेत–प्रमोद तथा पश्चिम में स्थान ब्रह्मदेव, स्थान जरवई, स्थान भक्ति, पीपल, कुआं, बरगद, जगह– रामजीत, शीशम, बरगद, इत्यादि दर्शाया है । यह सड़क मार्ग, सड़क फफूंद को उत्तर दिशा में जाता है तथा सड़क अटसू को दक्षिण दिशा में जाता है । विवेचना अधिकारी साक्षी pw6 निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद ने अपनी प्रति–परीक्षा में यह कहा है कि "...वादी ने इस साक्षी को यह नही बताया था कि घटना के समय कोई जनता के लोग मौजूद हो । JSA चालक का नाम शिवरतन सिंह पुत्र मूलचंद निवासी ग्राम बेरी कपरिया थाना अजीतमल जिला औरैया है ।" JSA चालक शिवरतन सिंह पुत्र मूलचंद का बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता विवेचना अधिकारी द्वारा केस डायरी में लिखा गया और विवेचना अधिकारी ने अपनी प्रति–परीक्षा के बयानो में यह भी कहा कि "...यह सही है कि शिवरतन के अलावा कोई जनता के गवाह से इस घटना के संबंध में कोई पूछताछ नही की गई ।" उल्लेखनीय है कि अभियुक्त कमल सिंह की ओर से अपने बचाव में सफाई–साक्ष्य के साक्षी dw1 शिवरतन सिंह पुत्र मूलचंद को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में यह कहा है कि "...घटनास्थल

पर वह अपना JSA टेंपू खड़ा करके शौच के लिए चला गया था तभी उपरोक्त सिपाही टैंपो को चलाकर आगे जाने लगे और ट्रैक्टर में टक्कर मार दी जिससे इस साक्षी का टैंपो टूट गया और दोनो सिपाही भी घायल हो गये ।" इस साक्षी से जब विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने यह कहा कि "...जब सिपाहियों ने उसके इस JSA विक्रम टैंपो नंबर U.P.79 T 1306 बिना नंबर के, पावर ट्रैक ट्रैक्टर नीला रंग से टकराया था तो इसी ट्रैक्टर से कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा दूसरे कॉन्स्टेबल में प्रमोद कुमार घायल हो गया था ।" इस तरह से इस साक्षी ने स्वयं को कथित घटना के समय मौके पर उपस्थित होना बताया और मौके पर मृतक कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह व घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को भी उपस्थित होना बताया और इसी घटनाक्रम मे कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह की टक्कर लगने से मृत्यु होना व कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को घायल होना बताया ।

कथित घटना रात 8:15 बजे की है जो कि सड़क फफूंद से सड़क अटसू मार्ग की है जिस पर वाहनो का आवागमन रहता है जिस संबंध में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कोई भी व्यक्ति, राहगीर या ग्रामवासी मुकदमेबाजी से बचने के लिये तथा भलाई– बुराई के कारण ऐसे मामले में गवाह नही बनना चाहता है जिस कारण इस मुकदमे में जनता का कोई व्यक्ति गवाह नही बना है और चूंकि इस घटना में कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार घायल हुआ है जो कि एक महत्वपूर्ण चश्मदी साक्षी भी है तथा जिसे dw1 शिवरतन सिंह ने भी कथित घटना के समय मौके पर देखा जिस कारण ऐसे गवाह की गवाही विश्वसनीय और ग्राह्य दोनो है । इस संबंध में कुछ विधि–व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा जो कि निम्नवत् है– **कुलविन्दर सिंह बनाम पंजाब** {पंजाब (2015) (99) ACC 300} मे माननीय न्यायायलय ने यह अवधारित किया कि अभियोजन के मामले को मात्र स्वतन्त्र साक्षियो के अभाव मे निरस्त नही कर दिया जायेगा ।" **नन्द कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** 2015 (88) ACC 309 मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जबकि घटनाक्रम से भिज्ञ एवं विश्वसनीय दो चक्षुदर्शियो को परीक्षित कराया जा चुका हो तब अधिक व अन्य चक्षुदर्शियो को परीक्षित कराया जाना आवश्यक नही है । **जोज़फ बनाम केरल राज्य** 2003 (1) JCC 125 (SC) मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 मे उपबन्धित है कि साक्षियो की किसी विशेष संख्या की किसी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही है । न्यायालय एकमात्र साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है ।

अतः उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित होता है कि यदि किसी घटना में केवल पुलिसकर्मी ही चश्मदीद साक्षी के रूप में उपस्थित हो और किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाए और किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोटे कारित हो तो ऐसा पुलिसकर्मी जिसे गंभीर चोटे कारित हुई है, एक सक्षम साक्षी हो सकता है । केवल पुलिसकर्मी होने से उसकी गवाही अविश्वसनीय मानी जाए और साक्ष्य में ग्राह्य न मानी जाए, ऐसा उचित व न्यायसंगत नही है । प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न–भिन्न होती है । प्रस्तुत केस में घायल सिपाही प्रमोद कुमार साक्षी pw4 के रूप में न्यायालय में पेश व परीक्षित हुआ है जिसने कथित घटना को घटित होने के क्रम से विस्तार पूर्वक अपने बयानो में बताया है जिस कारण यह नही माना जा सकता है कि जनता का कोई भी स्वतंत्र साक्षी न होने और केवल पुलिसकर्मी साक्षी होने के कारण उक्त पुलिसकर्मियो का साक्ष्य विश्वसनीय ना हो और साक्ष्य में ग्राह्य ना हो ।

अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह चौथा तर्क स्वीकार नही किया जाता है ।

**[5.] प्रथम सूचना रिपोर्ट में "...यह कहना सही है कि प्रदर्श क–1 में टक्कर लगने से उपरोक्त टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया । उसके बाद चालक ने जानबूझकर सिपाही प्रमोद कुमार व नरेन्द्र सिंह को ट्रैक्टर से टक्कर मारने वाली बात इसलिए नही लिखी है क्योंकि उपरोक्त सिपाहियों को ट्रैक्टर से टक्कर पहले लगी थी और बाद में टक्कर लगने से टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया था ।..." साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को एफ0आई0आर0 तहरीर प्रदर्श क–1 पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने तहरीर देखकर कहा कि तहरीर प्रदर्श क–1 में ट्रैक्टर चालक द्वारा पहले जे0एस0ए0 में टक्कर होना नही लिखा है । विवेचक pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद ने दौरान प्रति–परीक्षा यह कहा कि "..FIR में एक्सीडेंट का उल्लेख किया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल दुर्घटना दर्शायी गई है ।" न लिखने से क्या कथित घटना संदिग्ध साबित होती है ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पांचवा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह द्वारा थाना अजीतमल पर दर्ज करायी गई जिसमे यह नही लिखा कि ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर सिपाही प्रमोद कुमार व नरेंद्र सिंह को टक्कर मार दी जबकि अभियोजन साक्षीगण ने ऐसा कथन अपने बयानो में कहा है । इसी तरह से इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी नही लिखा कि ट्रैक्टर चालक ने पहले JSA टैंपो में टक्कर मारी और उसके बाद सिपाही प्रमोद कुमार और नरेंद्र सिंह को टक्कर मारी और उन्हें रौंदते हुए निकल गया । अगर वास्तव मे ऐसी घटना हुई होती तो ये बाते प्रथम सूचना रिपोर्ट मे जरूर लिखी जाती । इस तरह से इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो बाते लिखी गई है वह थाना पुलिस द्वारा सोच –समझ कर अभियुक्त कमल सिंह को इस मुकदमे में झूठा फसाने के लिए लिखी गई है जिस कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी साबित होती है ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खंडन करते हुए यह कहा गया कि यह सही है कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह द्वारा थाना अजीतमल पर दर्ज करायी गई जिसमे वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने वही कथन लिखे जो उसने कथित घटना के समय अपनी आंखो से देखे थे । इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी कथन बढ़ा–चढ़ा कर नही लिखा गया है और सभी बाते सही और सच लिखी गई है । अभियुक्त कमल सिंह ने अपने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सिपाही नरेंद्र सिंह और प्रमोद कुमार को जोरदार टक्कर मार दी जिन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया था जिसके परिणामस्वरुप सिपाही नरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और सिपाही प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया । जहां तक प्रश्न इस बात को लिखने का है कि पहले JSA टैंपो में टक्कर लगी और बाद मे सिपाहियो को टक्कर लगी तो यह तथ्य लिखना इतना आवश्यक नही था क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में खास–खास बाते संक्षेप में लिखी जाती है, प्रत्येक छोटी–छोटी बातो को विस्तार पूर्वक लिखना प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखना आवश्यक नही होता है जिस संबंध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय में गवाही के दौरान विस्तार पूर्वक बताया जाता है और अभियुक्तगण को प्रति–परीक्षा करने का अवसर भी मिलता है । इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट सच्ची व सही है जिसे अभियोजन साक्षी ने साबित भी किया है और यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एक Prompt FIR भी है, देरी से दर्ज की Antie–timed FIR नही है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना अजीतमल जिला औरैया पर अपने हस्तलेख हस्ताक्षर में लिखायी थी । पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क/2 जो तहरीर है को देखकर साक्षी ने कहा कि वही यह तहरीर है जो मैंने दिनांक 10–03–2015 को घटना के संबंध में थाना हाजा पर दी थी । इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया ।"

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मैंने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में यह लिखा है कि मेरी रवानगी संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चैकिंग के लिए हुई थी । यह कहना सही है कि जिस क्रम में मैंने घटना देखी थी उसी क्रम में मैंने प्रदर्श क–1 लिखा है । इस प्रदर्श क–1 में घटना देखने का क्रम यह है कि तहरीर प्रदर्श क–1 को देखकर कहा कि इस क्रम में मैंने तहरीर लिखी है कि '...आज दिनांक 10–03–2015....यह घटना समय 20:15 की है, इस प्रदर्श क–1 मे मैंने घटना का क्रम लिखा है कि चालक ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर अपने साइड पर खड़े सिपाहियो कॉन्स्टेबल 462 प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल 434 नरेन्द्र सिंह को टक्कर मार दी । ट्रैक्टर भागने लगा ।...' मैने तेजी व लापवाही से चलाकर उक्त सिपाहियों को ट्रैक्टर चालक द्वारा टक्कर मारकर भागने वाली बात देखी थी । इसलिए लिख दी है । इसलिए उपरोक्त बात लिखने के वक्त मैंने अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में लिखा है कि टक्कर लगने से उपरोक्त टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया । यह कहना सही है कि प्रदर्श क–1 में टक्कर लगने से उपरोक्त टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया । उसके बाद चालक ने जानबूझकर सिपाही प्रमोद कुमार व नरेन्द्र सिंह को ट्रैक्टर से टक्कर मारने वाली बात इसलिए नही लिखी है क्योंकि उपरोक्त सिपाहियों को ट्रैक्टर से टक्कर पहले लगी थी और बाद में टक्कर लगने से टैम्पो क्षतिग्रस्त हो गया था...।"

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा के बयानो में यह कथन किया कि "...दिनांक 10–03–2015 को मैं थाना अजीतमल में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था । उसी दिनांक 10–03–2015 को मैं व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह व सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह के साथ थाने से वहवाले रपट नंबर 46 समय 19:50 बजे कस्बा अटसू से जुआ पुल फफूंद रोड़ पर आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु रवाना होकर बल्लापुर ग्राम से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रुक कर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे । उसी समय करीब 08:15 p.m. पर एक जे0एस0ए0 विक्रम टैम्पो नंबर यू0पी0 79 टी0 1306 का चालक लेकर आया और थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा करके शौच के लिए चला गया तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली समय उपरोक्त 20:15 बजे ट्रॉली में बोर लदे थे, ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0एस0ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये । हम लोगो को होश नही रहा । कुछ समय बाद मुझे होश आया था तो मैं सरकारी अस्पताल

अजीतमल में था । अस्पताल अजीतमल में पुनः मैं अचेत हो गया था । अगले दिन मुझे पी0 जी0 आई0 सैफई में होश आया । वहां मुझे बताया गया कि ट्रैक्टर चढ़ाने से मेरे साथी आरक्षी नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई है । बाद में ट्रैक्टर नंबर चेसिस बी0 3210556 तथा इंजन नंबर ई0 3233747 थाने के पुलिस द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी तथा चालक ट्रैक्टर का नाम कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल का नाम पता मुझे थाने से पता चला था ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कोई कथन नही किया ।

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...विवेचना शुरू करने से पहले मैंने FIR का अवलोकन किया था । पढ़ने के बाद CD में FIR का उतारा किया । FIR में एक्सीडेंट का उल्लेख किया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल दुर्घटना दर्शायी गई है । यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह जो चौकी इन्चार्ज अटसू थे, वह भी कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के साथ मौजूद थे ।"

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "... मैं दिनांक 10–03–2015 को थाना अजीतमल जनपद औरैया पर थाना कार्यालय में कार्यालय–लेख पर तैनात था । उसी दिनांक को वादी–मुकदमा सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह चौकी अटसू द्वारा एक तहरीर प्रार्थना–पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था । मैंने उसी तहरीर प्रार्थना–पत्र को शब्द–ब–शब्द अंकित कर चिक एफ0 आई0 आर0 संख्या 68/15 किता कर मुकदमा अपराध संख्या 178/15 बनाम चालक कमल सिंह', अंतर्गत धारा 279, 338, 304ए, 427 भारतीय दंड संहिता व 184 एम0 वी0 एक्ट0 में कायम किया था व चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4/1 के रूप में मेरे सामने है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया ।"

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...वादी–मुकदमा की तहरीर पर मैंने धाराएं 279, 338, 304ए, 427 भारतीय दंड संहिता व 184 मोटर वाहन अधिनियम की धाराए लिखी थी । इसी तहरीर से ट्रैक्टर चालक अभियुक्त कमल सिंह के लापरवाही व तेजी से चलने से कॉन्स्टेबल नरेन्द्र कुमार व प्रमोद घायल हो गए थे और इस दुर्घटना से नरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी । चिक प्रदर्श क–11 में क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर है या नही मैं नही बता सकता । कोई दिनांक अंकित नही है तथा चिक पर किसी सी0 ओ0 या सहायक उपनिरीक्षक या थानाध्यक्ष या किसी सिपाही के हस्ताक्षर है, मैं नही बता सकता ।"

उपरोक्त साक्षीगण के उपरोक्त बयानो के विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट सही है जिसमे सभी आवश्यक तथ्यो का समावेश किया गया है । किसी घटनाक्रम की छोटी–छोटी सभी बातो को तहरीर/FIR में लिखना आवश्यक नही होता है जैसा कि मुख्य विधि व्यवस्था **कंचन बेन पुरुषोत्तम भाई भण्डेरी बनाम गुजरात राज्य** 2015 (88) ACC 276 मे माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि "प्रथम सूचना रिपोर्ट मे समस्त छोटी–छोटी बातो का लिखा जाना अपेक्षित नही है और न ही यह

अपेक्षित है कि अभियोजन पक्ष के समस्त कथन का यह शब्दकोष होगा ।'' साक्षी वादी–मुकदमा pw1 साधू सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस तहरीर को प्रदर्श क–1 से साबित किया है । इस साक्षी ने दौरान प्रति–परीक्षा के बयानों में कथित घटनाक्रम का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए इस तहरीर में उक्त ट्रैक्टर चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाकर उक्त सिपाहियों को टक्कर मारकर भागने वाली बात लिखा जाना बताया ।

अभियोजन की ओर से पेश हुए महत्वपूर्ण चश्मदीद साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने इस सम्बन्ध मे अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे यह कहा कि "...घटना वाली रात JSA चालक ने अपना विक्रम टैम्पो नंबर यू0 पी0 79 टी0 1306 को थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था और वह शौच के लिए चला गया था तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0 एस 0 ए 0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण इस साक्षी व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा इस साक्षी व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे यह साक्षी व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये ।

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गयी तो इस सम्बन्ध मे अभियुक्त से कुछ नही पूछा गया ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन व विश्लेषण से यह साबित होता है कि इस केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट मे सभी आवश्यक बाते लिखी गयी है । कथित घटनाक्रम की समस्त छोटी–छोटी बातो का समावेश किया जाना किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे आवश्यक नही होता है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक शब्दकोष नही होती है अर्थात् FIR is not an encyclopedia. कथित घटना दिनाँक 10–03–2015 की रात 8:15 बजे की है जिसकी FIR उसी रात 10:05 बजे थाना अजीतमल पर लिखी गयी जो कि एक Prompt FIR है । घटनास्थल से थाने आने व लिखा–पढ़ी मे कुछ घन्टो का लगना स्वाभाविक है । चूंकि यह एक प्रोम्प्ट एफ 0 आई 0 आर 0 है जिस कारण इस FIR मे कथित घटना के तथ्यो को बढ़ा–चढा कर लिखे जाने की सम्भावना भी नही है और न ही अभियुक्त कमल सिंह को इस मुकदमे मे झूठा फसाये जाने की सम्भावना ही परिलक्षित होती है जबकि अभियुक्त के सफाई–साक्ष्य के गवाह dw1 शिवरतन सिंह ने अपने ब्यानो मे घटना स्थल पर कथित घटना देखना व वाहन ट्रेक्टर व JSA की टक्कर लगना बताया है और दौरान विवेचना यह ट्रैक्टर अभियुक्त कमल सिंह का ही होना पाया गया है ।

अतः ऐसी दशा मे अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह पांचवा तर्क स्वीकार नही किया जाता है ।

**[6.] क्या मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह के परिवारीजन को वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा न्यायालय (MACT Court) से प्रतिकर की धनराशि मिल जाने से यह साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह ने मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह को अपने ट्रैक्टर से टक्कर नही मारी थी ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस पांचवा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court) इटावा न्यायालय से मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह के परिवारीजन को प्रतिकर की धनराशि बीमा कम्पनी से प्राप्त करायी जा चुकी है जिस कारण अब दोनो पक्षो मे कोई विवाद शेष नही बचा है और

यह साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह ने अपने ट्रैक्टर से मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह को टक्कर नही मारी ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि यह सही है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court) इटावा न्यायालय से मृतक नरेन्द्र सिंह की पत्नी व बच्चो व माँ तथा भाईयों को प्रतिकर की धनराशि मिल चुकी है परन्तु वह मामला प्रतिकर अदायगी से सम्बन्धित था जिसमे याचीगण जो मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह के परिवारीजन थे और प्रतिवादी बीमा कम्पनी के बीच लोक अदालत वाले दिन सुलह हो गयी थी जिस कारण उक्त दोनो पक्षो ने सन्धि–पत्र दाखिल किया था जिसके आधार पर उक्त न्यायालय ने लोक अदालत मे उस प्रतिकर के दावे को निर्णीत कर दिया । इस प्रतिकर के दावे मे विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 के रूप मे अभियुक्त कमल सिंह को बनाया गया था जिसे इसी ट्रैक्टर का मालिक दर्शाया गया जिससे टक्कर लगने से सिपाही नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हुई और सिपाही प्रमोद कुमार घायल हो गया था । इसी ट्रैक्टर का पंजीयन नम्बर व इत्यादि विवरण भी इस प्रतिकर के दावे मे लिखे गये थे और इसी मुकदमे की घटना का पूर्ण विवरण भी लिखा गया था जिससे यही साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह ने ही यह घटना कारित की । प्रतिकर के दावे का और प्रतिकर की धनराशि मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह के परिवारीजन को मिलने से इस मुकदमे पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नही पड़ता है क्योंकि यह मुकदमा कथित घटना मे किये गये अपराध से सम्बन्धित है जो कि एक आपराधिक मुकदमा है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तारपूर्वक सुना तथा तथा इस तर्क से सम्बन्धित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन व विश्लेषण किया गया जो कि निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी से इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw2 संजीव कुमार जो मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो मे इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा और न ही अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा मे इस साक्षी से इस सम्बन्ध मे कुछ पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा किसी न्यायालय में नही किया है । मुझे बाद में बताया गया था कि नरेन्द्र कुमार के परिवार वालो ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति का मुकदमा इटावा में किया था । यह बात मुझे घटना के करीब पन्द्रह दिन बाद पता चली । नरेन्द्र कुमार के क्षतिपूर्ति धनराशि परिवार वालो को प्राप्त हुई, इसकी जानकारी नही है । मझे पता नही है कि नरेन्द्र के माता–पिता, पत्नी, भाई को अपने प्रतिकर के दावे में दुर्घटना से आयी चोटो से मृत्यु होना बताया है, न कि जानबूझ कर टक्कर से मृत्यु होना बताया है ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कुछ

नही कहा ।

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी से इस सम्बन्ध मे कुछ नही पूछा गया ।

अभियोजन साक्षी pw7 मोहम्मद मुस्तकीम इस मुकदमे का चिक FIR लेखक है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे कुछ नही कहा और अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी प्रति–परीक्षा मे इस सम्बन्ध मे इस साक्षी से कुछ नही पूछा गया ।

अभियुक्त कमल सिंह की ओर से सफाई–साक्ष्य मे सूची–दस्तावेज दिनाँकित 05–11–2025 से निम्न कागजात दाखिल किये – (1) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) कक्ष संख्या 7 इटावा द्वारा एमएसी संख्या 220/2015 'मानती देवी आदि बनाम कमल सिंह आदि', मे पारित निर्णय दिनाँकित 09–12–2017 (लोक अदालत) सत्यप्रतिलिपि । (2) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) इटावा मे दायर एमएसी वाद संख्या 242/2015 'रीना देवी व 3 अन्य बनाम कमल सिंह व 2 अन्य', की याचिका अन्तर्गत धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम, की सत्यप्रतिलिपि । (3) न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (M.A.C.T.) इटावा मे दायर एमएसी वाद संख्या 220/2015 'मानती देवी व 3 अन्य बनाम कमल सिंह व 4 अन्य', के दावा अन्तर्गत धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम, की सत्यप्रतिलिपि ।

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court)/अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 इटावा द्वारा दिनांक 09–12–2017 को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में एम.ए.सी. वाद संख्या 220/2015 'मानती देवी आदि बनाम कमल सिंह आदि', में यह निर्णय पारित किया गया जिसमे एम.ए.सी. वाद संख्या 242/2015 'रीना देवी आदि बनाम कमल सिंह आदि', को भी मेरे समाहित (Merged) किया गया और मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती रीना देवी और मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की पुत्री झलक और दीपांशी तथा पुत्र असित कुमार तथा मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की माँ श्रीमती मानती देवी और नाबालिग भाई संदेश कुमार तथा बालिग भाई संजीव कुमार और सुदीप कुमार को कुल 34 लाख रुपए अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया । उल्लेखनीय है कि इन उपरोक्त दोनो एम.ए.सी. वादो में अभियुक्त कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे को विपक्षी संख्या 1 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया जिसके नाम के आगे यह भी ब्रैकेट में लिखा गया (पंजीकृत स्वामी व चालक ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) संख्या U.P. 79 H3611) तथा इस एम.ए.सी. वाद संख्या 242/2015 'रीना देवी आदि बनाम कमल सिंह आदि', के वाद–पत्र की मद संख्या 16 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का प्रकार एवं पंजीयन संख्या के समक्ष – "ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) संख्या U.P. 79 H3611" लिखा है और मद संख्या 17 मे दुर्घटना से संबंधित वाहन स्वामी का नाम व पता के समक्ष – "कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल जिला औरैया", लिखा है तथा मद संख्या 19 मे 'क्या वाहन स्वामी से प्रतिकर मांगा, यदि हां तो परिणाम', के समक्ष – "जी हां, देने से मना कर दिया", लिखा है । इसी दावे में अंतिम मद संख्या 23 के बाद कथित घटना का विवरण लिखा हुआ है जिसमे साफ तौर से यह लिखा है कि "...उक्त ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) संख्या U.P.79 H 3611 जो नीले रंग का था, उसकी ट्रॉली में आलू लदे थे, फफूंद की तरफ से तेजी व लापरवाही पूर्वक आया और उसने सड़क के किनारे खड़े JSA विक्रम टैंपो नंबर U.P.79 T 1306 में टक्कर मारते हुए ब्रह्मदेव थान के सामने सड़क के किनारे कच्ची पटरी पर खड़े कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह व कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार

के टक्कर मार दी जिसके फलस्वरुप दोनो लोगो के गंभीर एवं घातक चोटे आयी । दोनो घायलो को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल अजीतमल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया तथा कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार की गंभीर हालत होने के कारण सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया । इस घटना को होते हुए मृतक कॉन्स्टेबल नरेंद्र सिंह व कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार के साथ वाहन चैकिंग कर रहे ए.एस. आई. साधो सिंह व मौके पर उपस्थित अन्य लोगो ने होते हुए देखा है ।...दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) संख्या U.P. 79 H3611 को पकड़ लिया गया था जो कि बाद में माननीय न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) महोदय औरैया से जमानत पर रिलीज किया गया । ट्रैक्टर का नंबर नही पड़ा हुआ था । मौके पर उपस्थित चश्मदीद साक्षी ASI साधो सिंह ने दुर्घटना करने वाले ट्रैक्टर के चालक कमल सिंह को पहचान लिया था तथा उसी के नाम से FIR दर्ज करायी थी ।"

उपरोक्त ये ही सभी बाते एम.ए.सी. वाद संख्या 220/2015 'मानती देवी आदि बनाम कमल सिंह आदि', में भी लिखी गई है ।

इस सत्र परीक्षण की पत्रावली पर एक्सीडेंटल निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति भी उपलब्ध है जिसमे दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नंबर U.P.79 T 1306 मेक– JSA दिनांक 19–03–2015 थाना अजीतमल जनपद औरैया लिखा है जिस पर इंजन नंबर और चेचिस नंबर भी साफ–साफ लिखा है और इस वाहन की हेडलाइट दाहिनी क्षतिग्रस्त तथा दाहिनी तरफ काला क्षतिग्रस्त तथा सामने का मैन शीशा क्षतिग्रस्त और दाहिनी तरफ का साइड मिरर क्षतिग्रस्त और बैठने की सीट क्षतिग्रस्त लिखी गई है । इसी प्रकार दूसरा प्रपत्र एक्सीडेंट निरीक्षण रिपोर्ट का है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नंबर के समक्ष ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) बिना नंबर, मेक– पावर ट्रैक ट्रैक्टर, निरीक्षण का स्थान– थाना परिसर थाना अजीतमल जनपद औरैया', लिखा है तथा निरीक्षण का दिनांक 19–03–2015 लिखा है । इस वाहन का भी इंजन नंबर और चेसिस नंबर साफ–साफ लिखा है और क्षति का विवरण के समक्ष Nil लिखा है ।

इस तरह से उपरोक्त प्रपत्रो से यह साबित हो जाता है कि मृतक नरेंद्र सिंह के परिवारीजन पत्नी, बच्चो, माँ व भाईयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा न्यायालय से प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिकर धनराशि मिल चुकी है जो कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को स्वीकार्य भी है जिसमे किसी प्रकार का कोई विवाद नही है परंतु यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि मृतक नरेंद्र सिंह के परिवारीजन को 34 लाख रुपए प्रतिकर धनराशि मिल चुकी है जिस कारण अब कोई विवाद शेष नही है और क्या अभियुक्त कमल सिंह का उक्त ट्रैक्टर इस घटना मे संलिप्त नही था ? इस सन्दर्भ मे यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि इस प्रतिकर के वाद में अभियुक्त कमल सिंह को विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 बनाया गया जिसने प्रतिकर की धनराशि मृतक के परिवारीजन को देने से इनकार कर दिया गया जिस कारण बीमा कंपनी व अन्य पक्षकार बनाए गए तत्पश्चात मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी को उक्त धनराशि अदा किए जाने का निर्देश दिया गया जो कि संधि–पत्र के आधार पर दिया गया क्योंकि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षो में उक्त धनराशि के लेनदेन को लेकर समझौता हो गया था । इस प्रतिकर के दावे में अभियुक्त कमल सिंह के उक्त वाहन ट्रैक्टर की पंजीयन संख्या एवं अन्य विवरण भी साफ–साफ लिखे है और कथित घटना जिस तरह से हुई उसका विवरण भी साफ–साफ लिखा है जिससे भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है और अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है ।

इन सब समस्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का यह अभिमत है कि मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह के परिवारीजन को वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण इटावा न्यायालय से प्रतिकर की धनराशि मिल जाने से यह साबित नही होता है कि अभियुक्त कमल सिंह ने मृतक सिपाही नरेन्द्र सिंह को अपने ट्रैक्टर से टक्कर नही मारी थी ?

अतः अभियुक्त की ओर से इस संबंध में प्रस्तुत किया गया यह छठा तर्क स्वीकार नही किया जाता है ।

**[7.] क्या कथित घटना के समय अभियुक्त कमल सिंह का उक्त ट्रैक्टर घटनास्थल पर मौजूद होना साबित होता है, जिसे उस समय अभियुक्त कमल सिंह ही चला रहा हो ?**

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना के समय अभियुक्त कमल सिंह का उक्त ट्रैक्टर घटना स्थल पर मौजूद नही था । अभियोजन के किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि घटनास्थल पर अभियुक्त/चालक कमल सिंह का ट्रैक्टर कथित घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद था और अभियुक्त कमल सिंह ही इस ट्रैक्टर को चल रहा था । इस संबंध में अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षीगण के बयानो की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खंडन करते हुए यह कहा गया कि अभियोजन की ओर से पेश हुए तथ्य के दो चश्मदीद साक्षीगण वादी–मुकदमा pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह और pw2 घायल कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने अपने–अपने बयानो में इस तथ्य को संदेह से परे साबित किया है कि घटना वाली रात घटना के समय अभियुक्त कमल सिंह ही अपना उक्त ट्रैक्टर तेजी व लापरवाही से चला रहा था और उसने इस ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जानबूझकर दोनो सिपाहियों, उनके द्वारा रोके जाने पर, को जोरदार टक्कर मार दी जिससे सिपाही नरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई और सिपाही प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया । साक्षी pw2 कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार इसी घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था जिस कारण वह इस घटना का एक चश्मदीद व विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने अपने बयानो मे अभियुक्त कमल सिंह को उक्त ट्रैक्टर चलाते हुए और टक्कर मारते हुए देखा । इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court) इटावा न्यायालय में मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह के परिवारीजन द्वारा जो वाद दायर किए गए और उक्त वाद में जो उक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया उसमे शामिल सभी प्रपत्रो के अवलोकन से तथा अभियुक्त कमल सिंह के उक्त ट्रैक्टर की तकनीकी परीक्षण आख्या से तथा JSA विक्रम टेंपो की तकनीकी परीक्षण आख्या से भी यह साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह का ट्रैक्टर इस घटना में संलिप्त था जिससे दोनो सिपाहियो को जोरदार टक्कर मारी गई ।

न्यायालय द्वारा इस अंतिम तर्क पर दोनो पक्षो को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा इस तर्क से संबंधित समस्त साक्ष्य का गहनता से अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण किया गया जो निम्नवत् है :–

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...दिनांक 10–3–2015 को मैं कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार और कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के साथ आपराधिक घटनाओ की रोकथाम हेतु ग्राम बल्लापुर से पहले ब्रह्मदेव थान के पास रूक कर संदिग्ध वाहन व

व्यक्तियों की चैकिंग में व्यस्त थे, तभी टैम्पो विक्रम जे0 एस0 ए0 का चालक टैम्पो को सड़क किनारे खड़ा करके शौच क्रिया के लिए चला गया था । इस दौरान समय करीब 20:15 बजे एक नीले रंग का ट्रैक्टर जिसमे ट्रॉली लगी थी और ट्रॉली में आलू के बोरे लदे थे, को उसका ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसने विक्रम जे0 एस0 ए0 में टक्कर मार दी तो मेरे साथ ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकना चाहा तो उसके चालक ने स्पीड बढ़ा कर कॉन्स्टेबल प्रमोद व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर जो सड़क के किनारे थे, के ऊपर चढ़ा कर टक्कर मारकर भागा । तब मैंने टोर्च की रोशनी डालकर उक्त ट्रैक्टर पावर टैक कंपनी का जिसका रंग नीला था के चालक कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल को टोर्च की रोशनी में पहचान क्योंकि मैं उसको पहले से जानता– पहचानता था ।"

अभियोजन साक्षी pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...उक्त घटना वाले ट्रैक्टर में नम्बर आगे पड़ा हुआ था या नही पड़ा हुआ था एवं उके बोनट पर पीछे नम्बर पड़ा था या नही पड़ा था, मुझे जानकारी नही है । चूंकि रात का वक्त था इसलिए मैंने देख नही पाया कि ट्रॉली के पीछे या उसके चारो तरफ कुछ लिखा था या नही लिखा था ।...यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त कमल सिंह से जलन व रंजिश मानने वाले लोगो के कहने पर मैंने कमल सिंह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखायी हो ।"

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...उसी समय करीब 08:15 p.m. पर एक जे0 एस0 ए0 विक्रम टैम्पो नंबर यू0 पी0 79 टी0 1306 का चालक लेकर आया और थोड़ा–सा आगे सड़क के किनारे खड़ा करके शौच के लिए चला गया तभी एक नीले रंग की ट्रैक्टर–ट्रॉली समय उपरोक्त 20:15 बजे ट्रॉली में बोर लदे थे, का ट्रैक्टर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और सड़क के किनारे खड़े जे0 एस0 ए0 उपरोक्त में टक्कर मार दी । ड्यूटी पर होने के कारण मैंने व कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को और तेज करके सीधा मेरे व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह के ऊपर चढ़ा दिया था जिससे मैं व कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गये ।...बाद में ट्रैक्टर नंबर चेसिस बी0 3210556 तथा इंजन नंबर ई0 3233747 थाने के पुलिस द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी तथा चालक ट्रैक्टर का नाम कमल सिंह पुत्र गंगादीन दोहरे निवासी ग्राम बीसलपुर थाना अजीतमल का नाम–पता मुझे थाने से पता चला था ।"

अभियोजन साक्षी pw4 हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...जे0 एस0 ए0 के जाने के एक–दो मिनट बाद ट्रैक्टर आ गया था ।...जिस वाहन ने मुझे टक्कर मारी थी, वह रौंदता हुआ निकल गया था । टक्कर लगते ही मैं बेहोश हो गया था । नरेन्द्र सिंह को पहले टक्कर लगी थी । मैं उस समय नही देख पाया था कि वाहन कौन चला रहा था ।...जब ट्रैक्टर आया था तब उस पर बोरे लदे थे । यह मैने पहले ही देखा था । बाद मे मुझे पता चला कि उसमे आलू थे ।...यह कहना गलत है कि जे0 एस0 ए0 वाहन से सम्बन्धित कागजात आर0 सी0, बीमा, डी0 एल0 आदि अपूर्ण हो और क्लेम न मिल पाने की स्थिति मे मेरे थाने के विभागीय पुलिस अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह ने पहले से ही परिचित कमल सिंह के नाम रिपोर्ट दर्ज करा दी हो जिससे दोनो पुलिस वालो को क्लेम की धनराशि मिल सके ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयानो में इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...CD–2A में अभियुक्त कमल सिंह दोहरे को मय घटना से संबन्धित ट्रैक्टर–ट्रॉली के साथ गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर थाना हाजा में दाखिल किया था तथा अभियुक्त कमल सिंह का बयान अंकित किया था तथा अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया था ।...CD–6 में...तथा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की निराक्षण रिपोर्ट का अवलोकन तथा घटना में प्रयुक्त पावर ट्रैक की निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन अंकित किया था ।"

अभियोजन साक्षी pw6 निरीक्षक चन्द्रिका प्रसाद से अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "...ट्रैक्टर, मय ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया था । वादी ने अपने बयान में दिखाया है कि मैं ट्रैक्टर चालक को पहले से जानता था ।"

इस तरह से अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षीगण pw1 सहायक उपनिरीक्षक साधो सिंह, pw2 कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार तथा pw6 विवेचना अधिकारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद के उपरोक्त बयानो से यह साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह का उक्त ट्रैक्टर इस घटना में सम्मिलित था जिसका तकनीकी परीक्षण भी थाना अजीतमल पुलिस द्वारा कराया गया और इसी ट्रैक्टर से जो टक्कर JSA विक्रम टैंपो में लगी थी उस JSA विक्रम टैंपो का भी तकनीकी परीक्षण थाना अजीतमल पुलिस द्वारा कराया गया जिसमे उक्त वाहन भी क्षतिग्रस्त होना पाया गया । इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT Court) इटावा न्यायालय द्वारा मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह के पारिवारीजन को प्रतिकर धनराशि अदा किए जाने का जो निर्णय पारित किया गया उसके अवलोकन से भी उक्त तथ्यो की पुष्टि होती है जो मृतक सिपाही नरेंद्र सिंह की पत्नी व बच्चो द्वारा तथा उसकी माँ व भाइयो द्वारा दो अलग–अलग वाद दायर किए गए थे जिन्हे संयुक्त (merged) करके लोक अदालत में बीमा कंपनी और याचीगण के मध्य संधि हो जाने के आधार पर निर्णीत किया गया जैसा कि विचारणीय बिंदु संख्या 6 में इस न्यायालय द्वारा विवेचित (discuss) किया जा चुका है जिसमे अभियुक्त कमल सिंह का नाम विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 के रूप मे लिखा गया है और इस मुकदमे की घटना का पूर्ण विवरण भी लिखा गया है तथा अभियुक्त कमल सिंह के उक्त ट्रेक्टर का पंजीयन संख्या, इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर व अन्य विवरण भी साफ–साफ लिखे गये है जिनका मिलान उक्त ट्रैक्टर की तकनीकी परीक्षण आख्या मे वर्णित विवरण से किया जा सकता है जो थाना अजीतमल पुलिस द्वारा कराया गया ।

अतः उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित होता है कि कथित घटना की रात के समय अभियुक्त कमल सिंह का उक्त ट्रैक्टर घटना स्थल पर मौजूद था जिसमे लगी हुई ट्रॅाली मे आलू के बोरे लदे थे और जिसे उस समय अभियुक्त कमल सिंह ही चला रहा था ।

फलस्वरूप अभियुक्त कमल सिंह की ओर से पेश किया गया यह आखरी तर्क भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नही किया जाता है ।

## <u>निष्कर्ष</u>

उपरोक्त सभी विचारणीय बिंदुओ के विवेचन (discussion) व विश्लेषण (Analysis) से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि दिनांक 10–03–2015 को समय करीब 20:15 बजे स्थान ब्रह्मदेव थान, फफूंद–अटसू सड़क मार्ग पर, वहद ग्राम बल्लापुर थानाक्षेत्र अजीतमल जिला औरैया, में अभियुक्त कमल सिंह ने अपने ट्रैक्टर (पावर ट्रैक) पंजीयन संख्या U.P.79 H 3611 उक्त लोकमार्ग पर खतरनाक तरीके से, यह जानते हुए कि इस

प्रकार खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना जनता के लिये खतरनाक हो सकता है, एवं बहुत तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कॉन्स्टेबल 462 प्रमोद कुमार और कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह को उस समय जोरदार टक्कर मार दी जब वे दोनो अपनी ड्यूटी करते हुए लोक सेवक के रूप में लोक–कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे तथा अभियुक्त द्वारा उन्हे भयोपरत करके उन पर अपने ट्रैक्टर से आपराधिक हमला कर दिया । इस जोरदार टक्कर में कॉन्स्टेबल 462 प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और कॉन्स्टेबल 434 नरेंद्र सिंह की मृत्यु दौरान इलाज मृत्यु हो गई । अभियुक्त कमल सिंह द्वारा अपने इस ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही तथा खतरनाक तरीके से उतावलेपन से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े JSA विक्रम टैंपो नंबर U.P.79 T 1306 में भी टक्कर मारकर उक्त टैंपो को क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे उसका नुकसान हुआ ।

फलस्वरूप अभियुक्त कमल सिंह के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम, सन्देह से परे साबित होता है । अभियुक्त कमल सिंह को धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है । अभियुक्त कमल सिंह दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा रहा है अतः उसके जमानतनामे निरस्त किये जाते है और जमानतदारो को जमानत के दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है ।

अभियुक्त कमल सिंह को धारा 279, 304, 333, 353, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 184 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है ।

अभियुक्त कमल सिंह को न्यायिक अभिरक्षा मे लिया जाता है ।

सजा के बिन्द पर लंच समय बाद सुनवायी की जायेगी ।

दिनाँक : 10–03–2026 (महेश कुमार)

स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}

**लंच समय बाद सजा के बिन्दु पर सुनवाई की गयी ।**

सजा के बिन्दु पर अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि यह मुकदमा बहुत अधिक पुराना है जो 10 वर्ष से अधिक पुराना है और अभियुक्त पिछले दस वर्षो से न्यायालय आ रहा है जिस कारण उसका काम–धन्धा भी खत्म हो गया और वह पिछले काफी वर्षो से तंग व परेशान चल रहा है । इस आधार पर कम से कम सजा जैसे कि तीन वर्ष की सजा से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी ।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त कमल सिंह द्वारा जिस ढंग से इस अपराध को अंजाम दिया गया है उसे यह साबित होता है कि अभियुक्त कमल सिंह का इरादा कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह व कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार की हत्या कारित करने का था और अभियुक्त को इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी कि इस तरह से उतावलेपन व तेजी व लापरवाही से उक्त ट्रेक्टर जिसमे आलू से भरे बोरे भी लदे थे, को चलाने से व तेज टक्कर मारने से इन दोनो सिपाहियों को गम्भीर चोटे कारित होंगी जिनसे उनकी मृत्यु भी कारित हो जाएगी । इस तरह से इस अपराध को

करने का अभियुक्त का इरादा भी था और उसे इस अपराध के परिणाम की जानकारी भी थी । अभियुक्त का यह केस धारा 304 व भारतीय दंड संहिता के भाग एक व अन्य सम्बन्धित धाराओ के अंतर्गत आता है । अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अभियुक्त कमल सिंह को अधिक से अधिक सजा से एवं भारी अर्थदंड से दंडित करने की कृपा करें ।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त कमल सिंह के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के उपरोक्त तर्को को सुना गया तथा संबंधित प्रावधान का अवलोकन किया गया एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रो का अवलोकन किया गया ।

**भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यह प्रावधानित करती है कि** "...जो कोई भी किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी वाहन को इस प्रकार लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना तरीके से चलाता है या सवारी करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने तक की अवधि के लिए या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनो से दंडित किया जाएगा।”

**भारतीय दंड संहिता की धारा 304 यह प्रावधानित करती है कि** "...जो कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी मे नही आता) करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु का कारण हो, जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुचाने के लिए किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा, या ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जो संभवतः मृत्यु का कारण हो, लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुचाने के लिए से न किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।”

**भारतीय दंड संहिता की धारा 333 यह प्रावधानित करती है कि** "...जो भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को, या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के प्रयास के परिणास्वरूप स्वेच्छया घोर क्षति कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा ।"

**भारतीय दंड संहिता की धारा 353 यह प्रावधानित करती है कि** "...जो भी किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब लोक सेवक के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या उस व्यक्ति को लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करने के आशय से, या लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए गये या किए जाने वाले किसी कार्य के परिणामस्वरूप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनो से दंडित किया जाएगा ।

**भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 यह प्रावधानित करती है कि** "जो कोई भी शरारत करता है और जिसके परिणामस्वरूप पचास रुपये या उससे अधिक की हानि या क्षति होती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनो से दंडित किया जाएगा ।"

**मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 यह प्रावधानित करती है कि** "..जो कोई भी मोटर वाहन को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक हो, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वाहन चलाने के स्थान की प्रकृति, स्थिति और उपयोग तथा उस समय वास्तव में मौजूद यातायात की मात्रा या उस स्थान पर उचित रूप से अपेक्षित यातायात की मात्रा शामिल है, उसे पहले अपराध के लिए छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और यदि यह अपराध पिछले समान अपराध के घटित होने के तीन वर्षो के भीतर किया जाता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनो से दंडित किया जाएगा ।"

अभियुक्त कमल सिंह द्वारा कथित अपराध कारित किया जाना साबित हुआ है । अभियुक्त द्वारा अपने ट्रैक्टर को उतावलेपन से व तेजी व लापरवाही से जानबूझकर चलाते हुए कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह व कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी और कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया । इसके अलावा सड़क किनारे खड़े अन्य वाहन JSA विक्रम टैम्पो को भी टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर उसका नुकसान कारित किया । एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इतनी समझ अवश्य रखेगा कि यदि किसी भारी वाहन को इस प्रकार तेजी व लापरवाही से तथा उतावलेपन से चलायेगा तो निश्चित रूप से लोक मार्ग पर आने वाले जनता के लोगो के लिये यह खतरनाक होगा और टक्कर लगने से किसी की मृत्यु भी हो सकेगी चाहे मारने वाले व्यक्ति का ऐसा करने का कोई इरादा न हो । प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त कमल सिंह द्वारा इस तेजी व लापरवाही ड्राइविंग के परिणामस्वरुप कॉन्स्टेबल नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई और कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार गम्भीर रूप से घायल हो गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस तथ्य की अभियुक्त को जानकरी थी कि इस प्रकार की ड्राइविंग से इन दोनो सिपाहियों को टक्कर लगने से जान का खतरा होगा और उन्हे गम्भीर चोटे कारित होंगी और गम्भीर चोटे कारित होने से उनकी मृत्यु भी कारित हो सकेगी । अतः न्यायालय के अभिमत में यह मामला धारा 304 भारतीय दंड संहिता के भाग 2 के अंतर्गत आता है ।

जहाँ तक प्रश्न सजा की अवधि या अर्थदण्ड का है तो यह अपराध की गम्भीरता की प्रकृति के समानुपात मे होना चाहिये । इस सम्बन्ध मे अग्रलिखित दो विधि–व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा– निर्णय विधि **अरविन्द उर्फ मुन्नू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2016 (92) ACC 151 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मे निर्णय विधि **सुमेर सिँह बनाम सूरजभान सिँह एवं अन्य** 2014 (86) ACC 325 (SC) का उल्लेख करते हुए यह व्यवस्था दी गयी है कि दण्ड अभिनिर्णीत करने का प्रश्न विवेक का मामला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करके किया जायेगा । विधि स्थापित है कि दण्ड की मात्रा अपराध की गंभीरता के समानुपात मे होनी चाहिये ।"

अतः प्रस्तुत केस के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त कमल सिंह को निम्न सजा से दंडित किया जाना उचित होगा :–

**आदेश**

[1.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा मे अभियुक्त एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेगा ।

[2.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के कारावास से दण्डित किया जाता है ।

[3.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 333 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा मे अभियुक्त पांच माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा ।

[4.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 353 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है ।

[5.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए छः माह के कारावास से दण्डित किया जाता है ।

[6.] अभियुक्त कमल सिंह को धारा 184 मोटर वाहन अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के कारावास से दण्डित किया जाता है ।

अभियुक्त कमल सिंह द्वारा इस अर्थदण्ड की धनराशि मे से 25% धनराशि क्षतिपूर्ति स्वरूप घायल सिपाही प्रमोद कुमार को इस निर्णय की तिथि के तीन माह के अन्दर अदा की जाये । इसके अलावा 25% धनराशि क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतक सिपाही नरेन्द्र सिँह की पत्नी श्रीमति रीना देवी को इस निर्णय की तिथि के तीन माह के अन्दर अदा की जाये । शेष 50% धनराशि न्यायालय मे अर्थदण्ड के रूप मे तत्काल जमा करायी जाये ।

अभियुक्त कमल सिंह द्वारा दौरान विचारण पूर्व मे बितायी गयी जेल की अवधि इस सजा मे समाहित होगी । सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी ।

अभियुक्त कमल सिंह द्वारा धारा 437–A दण्ड प्रकिया संहिता के तहत दाखिल की गयी जमानत से आबद्ध होगा ।

अभियुक्त कमल सिंह को निर्णय की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए ।

दिनाँक : 10–03–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे दिनाँकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनाँक : 10–03–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, औरैया ।}